

**Proceedings of
Circuit House Meetings**

Year 2007

डॉ० बी० राजेन्द्र, भा० प्र० से०, जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 2.12.2007 को पटना परिसदन के विकास के लिए सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

1. प्रस्तावना :

पटना परिसदन बिहार राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। इस परिसदन में अति विशिष्ट महानुभावों का बिहार के अतिथि के रूप में आवासन होता है। परन्तु परिसदन के समुचित रख-रखाव के अभाव में अतिथियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण राज्य की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राज्य के अतिथियों को महंगे होटलों में आवासन करना पड़ता है जिससे राज्य पर वित्तीय बोझ पड़ता है। अतः यह निर्णय लिया गया कि पटना परिसदन के आवास, विद्युत्, पेय जल, एवं अन्य सुविधाओं को उच्च स्तरीय बनाने हेतु निरंतर अनुश्रवण करने की आवश्यकता है। अतः प्रत्येक 15 दिन पर यह बैठक आयोजित करना अनिवार्य है।

2. बैठक की व्यवस्था :

यह बैठक प्रत्येक माह के प्रथम रविवार एवं तृतीय रविवार को पूर्वाह्न 10.00 बजे से पटना परिसदन में आयोजित की जायगी। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी स्वयं करेंगे। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता अपर जिला दण्डाधिकारी-सह-वरीय प्रभारी, नजारत करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में डॉ० महेन्द्र पाल, नजारत उप समाहर्ता, पटना बैठक की समन्वयता करेंगे। लेकिन बैठक निश्चित रूप से प्रत्येक 15 दिन पर होनी चाहिए। बैठक की कार्यवाही जिलाधिकारी के आशुलिपिक श्री मधुकर द्वारा नोट की जायगी जिसे वे 24 घंटे के अन्दर तैयार प्रस्तुत करेंगे तथा जिलाधिकारी उसे 24 घंटे के अन्दर अनुमोदित करेंगे। कार्यवाही के अनुमोदनोपरान्त नजारत उप समाहर्ता 24 घंटे के अन्दर सभी सदस्यों को बैठक की कार्यवाही निश्चित रूप से हस्तगत करा देंगे। बैठक के दो दिन पूर्व विगत बैठक में दिये गये निर्देशों एवं लिये गये निर्णयों का अनुपालन प्रतिवेदन नजारत उप समाहर्ता को सम्बन्धित पदाधिकारी उपलब्ध करायेंगे ताकि अगली कार्य योजना तैयार करने में आसानी होगी एवं किये गये कार्य का आकलन करने में भी सुविधा होगी।

इस बैठक में कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण, पाटलिपुत्रा भवन प्रमण्डल, पटना, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना पश्चिमी, कार्यपालक अभियंता, विद्युत् कार्य प्रमण्डल, पटना, कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन (यांत्रिक), पटना, अपर जिला दण्डाधिकारी-सह-वरीय प्रभारी, नजारत, पटना, नजारत उप समाहर्ता, पटना, नयाचार पदाधिकारी, पटना, कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमण्डल, पटना, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पटना, मंडल अभियंता, दूरभाष, बी०एस०एन०एल०, पटना, कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना एवं अवधायक, पटना परिसदन, पटना भाग लेंगे। यह स्थायी आदेश माना जायगा।

(अनुपालन: सभी सम्बन्धित पदाधिकारी)

3. उपस्थिति :

क्रम	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या
1	डॉ० बी० राजेन्द्र	जिलाधिकारी, पटना	2219097 / 2219545 9835026485
2	श्री आर०के० सिन्हा	अपर जिला दण्डाधिकारी, नजारत, पटना	9431245002
3	श्री आर०एन० दूबे	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पाटलिपुत्रा भवन प्रमण्डल, पटना	9431877705
4	श्री दिनेश कुमार	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना पश्चिमी, पटना	9334128107
5	श्री एस०के० सिंह	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वा०यांत्रिक प्रम०, पटना	9334913621

6	श्री असीम कुमार	कार्यपालक अभियंता, विद्युत् कार्य प्रमण्डल, पटना	9835096400
7	डॉ० महेन्द्र पाल	नजारत उप समाहर्ता, पटना	9835039738
8	श्री नरेश कुमार गुप्ता	सहायक अभियंता, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पाटलिपुत्र भवन प्रमण्डल, पटना	9835290337
9	श्री मंजूर नसीर	सहायक अभियंता, लोक रवास्थ्य अभियंत्रण, पटना पश्चिमी, पटना	9334745200
10	श्री के०के०वर्मा	कनीय अभियंता, पाटलिपुत्र प्रमण्डल, पटना	9334031558
11	श्री शेखर कुमार यादव	कनीय अभियंता, विद्युत्, पटना	9934704373

4. भवन निर्माण विभाग :

4.1 भवन निर्माण विभाग द्वारा निम्नांकित कार्य अपेक्षित है :-

श्री आर० एन० दुबे, कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्रा भवन प्रमण्डल को गत बैठक में निदेश दिया गया था कि प्रत्येक कार्य के प्राक्कलन का abstract नजारत उप समाहर्ता को दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दें। परन्तु उनके द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन ससमय नहीं किया गया। इस हेतु उन्हें स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि 24 घंटे के अन्दर प्राक्कलन का abstract निम्नांकित प्रपत्र में नजारत उप समाहर्ता को उपलब्ध करा कर उनसे प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लें।

प्रपत्र

क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	कार्य प्रारंभ होने की तिथि	एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि	इस पक्ष के लिए लक्ष्य
1	2	3	4	5	6

(अनुपालन: कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्रा भवन प्रमण्डल पटना / नजारत उप समाहर्ता, पटना)

कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि किचेन एवं गैरेज का कार्य लिंटल लेवल तक हो गया है। माह जनवरी, 08 में किचेन एवं गैरेज के छत की ढलाई हो जायगी और मार्च, 08 तक कार्य पूर्ण हो जायगा।

4.2 भवन निर्माण विभाग द्वारा निम्नांकित कार्य कराने की आवश्यकता है :-

(1) सभी कमरों में बिजली की concealed wiring के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ मरम्मत करेंगे तथा रंगाई-पोताई अच्छी गुणवत्ता के साथ करेंगे। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कुल 18 कमरों का concealing करना है। concealing का कार्य 14 कमरों में पूर्ण कर लिया गया है। शेष चार कमरे मिल गये हैं।

निदेश दिया गया कि शेष 4 कमरों का कार्य 15 दिसम्बर तक निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।

(अनुपालन: कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्रा भवन प्रमण्डल पटना)

(2) वर्तमान में जो रसोईघर है उसे तोड़कर तथा स्टाफ क्वार्टर को तोड़कर बहु मंजिला स्टाफ क्वार्टर बनाने की आवश्यकता है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इसका प्राक्कलन बन गया है जिसकी प्राक्कलित राशि 33.00 लाख रुपये है। कुल 12 फ्लैटों का निर्माण किया जाना है।

(3) परिसदन के कैम्पस में सड़क बनाना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इसका प्राक्कलन तैयार है जिसकी कुल राशि 5.22 लाख है।

- (4) परिसदन की चार दीवारी को तोड़कर बनाने का निदेश दिया गया। साथ ही इसमें जोधपुर स्टोन लगाने का भी निदेश दिया गया।
- (5) ए0एन0सिन्हा इन्स्टीच्यूट के गेट के तर्ज पर गेट का निर्माण करना और गेट के बगल में गार्ड रूम बनाना है। कार्यपालक अभियंता को इसका प्राक्कलन बनाने का निदेश दिया गया।
- (6) परिसदन के दोनों ब्लॉक को जोड़ने वाली जाली की मरम्मत करनी है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जाली की मरम्मत का कार्य हो गया है और रंगाई का कार्य शेष है।
- (7) कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि तार पेल्टिंग का कार्य हो गया है।
- (8) प्रत्येक कमरे में तथा किचन में ग्रेनाइट का स्लैब (सफेद रंगा का) लगाना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्य चल रहा है। अभी तक छः कमरों में ग्रेनाइट का स्लैब लगा दिया गया। जैसे-जैसे कमरे उपलब्ध कराये जायेंगे, उनके ग्रेनाइट का कार्य किया जायगा।
- (9) रिसेप्शन काउण्टर अच्छे ढंग का बनाने का निदेश विगत बैठक में दिया गया था। इस हेतु पुनः स्मारित किया गया।

(अनुपालन: कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्रा भवन प्रमण्डल पटना)

5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना पश्चिम द्वारा बताया गया कि उनको निदेशित 24 कमरों में से 14 कमरों में कार्य सम्पन्न करा दिया गया है। शेष 10 कमरों में कार्य 26.12.07 तक पूर्ण हो जायगा। कार्यपालक अभियंता को निम्नांकित निदेश दिये गये :-

- (1) कम-से-कम 15 कमरों में गीजर लगाने का कार्य प्रारंभ करें।

इस सम्बन्ध में कार्यपालक अभियंता द्वारा गत बैठक में बताया गया था कि चूंकि गीजर लगाने के कार्य पर सरकार की अनुमति नहीं है, अतः इस सम्बन्ध में विभाग के सचिव के साथ जिलाधिकारी की वार्ता आवश्यक है। जिलाधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर विभागीय सचिव से वार्ता कर समस्या का समाधान कर लिया जायगा।

तत्काल आवश्यकतानुसार गीजर लगाने के लिए नजारत उप समाहर्ता, पटना को आदेश दिया गया तथा प्रति गीजर 7,300/- (सात हजार तीन सौ) रुपये के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी। गीजर की आपूर्ति बजाज कम्पनी द्वारा की जायगी। नजारत उप समाहर्ता को निदेश दिया गया कि गीजर का क्रय नियमों के आलोक में विधिवत् प्रक्रिया के तहत किया जाय तथा आवंटन हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र लिख कर अनुरोध किया जाय।

- (2) वर्तमान में पानी टंकी त्रुटिपूर्ण है जिससे पानी over flow होने के कारण परिसदन के छत और दीवार भींग जाते हैं, फलस्वरूप उनके क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। इससे पानी की बरबादी भी हो रही है। इसे अविलम्ब ठीक कराये और एक मिस्त्री की प्रतिनियुक्ति हमेशा के लिए परिसदन में करना सुनिश्चित करें ताकि इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न होने पाये।

इस सम्बन्ध में परिसदन के अवधायक द्वारा सूचित किया गया कि कोई मिस्त्री प्रतिनियुक्त नहीं है। कार्यपालक अभियंता द्वारा एक मिस्त्री की प्रतिनियुक्ति का आश्वासन दिया गया।

- (3) उद्यान में लगे चापाकल में नया पाइप लगा कर इसे चालू करने का निदेश दिया गया।

(4) उद्यान में लगे बोरिंग के पाईप के खुले मुह को ढक देना है।

(अनुपालन: कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना पश्चिम)

6. विद्युत् विभाग :

कार्यपालक अभियंता, विद्युत् कार्य प्रमण्डल को निम्नांकित निदेश दिये गये-

- (1) पटना परिसदन में concealed wiring कराना सुनिश्चित करें।
- (2) Broad Band की wiring कशना है।
- (3) टेलिफोन की वायरिंग कराना है।
- (4) T.V. केबुल की वायरिंग कराना है।
- (5) बिजली की वायरिंग कराना है।
- (6) उपर के 24 कमरों में A.C. लगाना है।
- (7) सभी कमरों में टेलिविजन (Flat) लगाने का निदेश दिया गया।
- (8) सभी कमरों में की Call bell की सुविधा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- (9) सभी कमरों का पंखा बदलना है।
- (10) सभी कमरों में Night lamp लगाना है।
- (11) सभी कमरों में exhaust fan लगाना है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि टेण्डर का कार्य करने की दिशा में शीघ्र कार्रवाई की जायगी।

(अनुपालन: कार्यपालक अभियंता, विद्युत् कार्य प्रमण्डल, पटना)

7. दूरभाष :

मण्डल अभियंता, दूरभाष, बी0एस0एन0एल0पटना की अनुपस्थिति के कारण इस विषय की समीक्षा नहीं की जा सकी।

8. स्वच्छता अधिष्ठापन :

इस व्यवस्था के तहत पेलमेंट हटाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन: कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना पश्चिम)

9. वन प्रमण्डल :

वन प्रमण्डल पदाधिकारी को पेड़ लगाने का निदेश दिया गया। साथ ही परिसदन के दोनों गेट के बगल में चन्दन का वृक्ष लगाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन: वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पटना)

10. उद्यान प्रमण्डल :

कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमण्डल, भवन निर्माण विभाग, पटना की अनुपस्थिति के कारण इस विषय की समीक्षा नहीं की जा सकी।

परिसदन के अवधायक द्वारा बताया गया कि श्री हरि नारायण पासवान, माली की प्रतिनियुक्ति निर्वाचन कार्यालय में हो जाने के कारण उद्यान की देख-रेख नहीं हो पा रही है। तत्काल श्री रविन्द्र कुमार, प्रभारी उप समाहर्ता निर्वाचन को निदेश दिया गया कि वे एक घण्टे के अन्दर श्री हरि नारायण पासवान, माली को परिसदन में कार्य करने हेतु विरमित करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन: श्री रविन्द्र कुमार, प्रभारी उप समाहर्ता निर्वाचन)

11. उपस्कर :

पटना परिसदन के लिए पलंग, टेबुल, कुर्सी, गोदरेज आलमीरा, चादर, गद्दा, तकिया इत्यादि क्रय करने के लिए राशि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा स्वीकृत हो गयी है। दस

कमरों के लिए गोदरेज का सामान कय करने हेतु राजस्व विभाग से 8,92,630/- का आवंटन प्राप्त होने की स्वीकृति मिल गयी है।

परिसदन के लिए रेगण्ड के 20(बीरा) कमरल कय करने का निदेश नजारत उप समाहर्ता को दिया गया तथा इस हेतु आवंटन के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को पत्र लिखने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन: नजारत उप समाहर्ता,पटना)
बैठक के पश्चात् परिसदन में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के कम में पाया गया कि बैरक,गैरेज तथा किचेन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। निरीक्षण के कम में निम्नांकित निदेश दिये गये:-

- (1) सभी दरवाजों एवं खिड़कियों में जाली लगाने का निदेश दिया गया।
- (2) कमरा संख्या-108, 109 तथा 210 में ग्रेनाईट का स्लैब, सफेद रंग का टाइल्स लगाने का निदेश दिया गया।
- (3) कमरा संख्या-212 के किचेन में ग्रेनाईट का स्लैब लगाने का निदेश दिया गया। अवधायक,परिसदन द्वारा दो अनुसेवियों की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया गया।

Rajender
3-12-2007

(बी० राजेन्दर)
जिलाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक-XI-6/07.....1989...../नजा०,पटना,दिनांक ०५.१२.०७
प्रतिलिपि : सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : आयुक्त,पटना प्रमण्डल,पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajender
3-12-2007

जिलाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक-XI-6/07.....1989...../नजा०,पटना,दिनांक ०५.१२.०७
प्रतिलिपि : सचिव, राजस्व पर्वद,बिहार,पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajender
3-12-2007

जिलाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक-XI-6/07.....1989...../नजा०,पटना,दिनांक ०५.१२.०७
प्रतिलिपि : सचिव, उर्जा विभाग,बिहार,पटना/विकास आयुक्त,बिहार,पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


Rajender
3-12-2007

जिलाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक-XI-6/07.....1989...../नजा०,पटना,दिनांक ०५.१२.०७
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार,पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajender
3-12-2007

जिलाधिकारी,पटना।



10/11/07

श्री राजेश किशोर सिन्हा, अपर जिला दण्डाधिकारी, नजारात, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 18.11.2007 को पटना परिसदन के विकास के लिए सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

पटना परिसदन बिहार राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। इस परिसदन में अति निशिष्ट महानुभावों का बिहार के अतिथि के रूप में आवास होता है। परन्तु परिसदन के समुचित रख-रखाव के अभाव में अतिथियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण राज्य की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राज्य के अतिथियों को महंगे होटलों में आवासन करना पड़ता है जिससे राज्य पर वित्तीय बोझ पड़ता है। अतः यह निर्णय लिया गया कि पटना परिसदन के आवास, विद्युत्, पेय जल एवं अन्य सुविधाओं को उच्च स्तरीय बनाने हेतु निरंतर अनुश्रवण करने की आवश्यकता है। अतः प्रत्येक 15 दिन पर यह बैठक आयोजित करना अनिवार्य है।

2. बैठक की व्यवस्था :

यह बैठक प्रत्येक माह के प्रथम रविवार एवं तृतीय रविवार को पूर्वाह्न 10.00 बजे से पटना परिसदन में आयोजित की जायगी। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी स्वयं करेंगे। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता अपर जिला दण्डाधिकारी-सह-वरीय प्रभारी, नजारात करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में डॉ० महेन्द्र पाल, नजारात उप समाहर्ता, पटना बैठक की समन्वयता करेंगे। लेकिन बैठक निश्चित रूप से प्रत्येक 15 दिन पर होनी चाहिए। बैठक की कार्यवाही जिलाधिकारी के आशुलिपिक श्री मधुकर द्वारा नोट की जायगी जिसे वे 24 घंटे के अन्दर तैयार प्रस्तुत करेंगे तथा जिलाधिकारी उसे 24 घंटे के अन्दर अनुमोदित करेंगे। कार्यवाही के अनुमोदनोपरान्त नजारात उप समाहर्ता 24 घंटे के अन्दर सभी सदस्यों को बैठक की कार्यवाही निश्चित रूप से हस्तगत करा देंगे। बैठक के दो दिन पूर्व विगत बैठक में दिये गये निदेशों एवं लिये गये निर्णयों का अनुपालन प्रतिवेदन नजारात उप समाहर्ता को सम्बन्धित पदाधिकारी उपलब्ध करायेंगे ताकि अगली कार्य योजना तैयार करने में आसानी होगी एवं किये गये कार्य का आकलन करने में भी सुविधा होगी।

इस बैठक में कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण, पाटलिपुत्रा भवन प्रमण्डल, पटना, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना पश्चिमी, कार्यपालक अभियंता, विद्युत् कार्य प्रमण्डल, पटना, कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन (यांत्रिक), पटना, अपर जिला दण्डाधिकारी-सह-वरीय प्रभारी, नजारात, पटना, नजारात उप समाहर्ता, पटना, नयाचार पदाधिकारी, पटना, कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमण्डल, पटना, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पटना, मंडल अभियंता, दूरभाष, बी०एस०एन०एल०, पटना, कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना एवं अवधायक, पटना परिसदन, पटना भाग लेंगे। यह स्थायी आदेश माना जायगा।

(अनुपालन: सभी सम्बन्धित पदाधिकारी)

3. उपस्थिति :

क्रम	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या
1	श्री आर०के०सिन्हा	अपर जिला दण्डाधिकारी, नजारात, पटना	9431245002
2	श्री आर०एन०दूबे	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पाटलिपुत्रा भवन प्रमण्डल, पटना	9431877705
3	श्री दिनेश कुमार	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना पश्चिमी, पटना	9334128107

10/11/07

4	श्री एस0के0सिंह	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमण्डल, पटना	9334913621
5	श्री असीम कुमार	कार्यपालक अभियंता, विद्युत् कार्य प्रमण्डल, पटना	9835096400
6	श्री वरुण कुमार	कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमण्डल, भवन निर्माण विभाग, पटना।	9434003978 2266358(आवास)
7	श्री शमशाद अली	मंडल अभियंता, दूरभाष, बी0एस0एन0एल0, पटना	9431019070
8	डॉ0 महेन्द्र पाल	नजारत उप समाहर्ता, पटना	9835039738
9	श्री अवधेश कुमार	वन क्षेत्र पदाधिकारी, पटना।	9431323274
10	श्री नरेश कुमार गुप्ता	सहायक अभियंता, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पाटलिपुत्र भवन प्रमण्डल, पटना	9835290337
10	श्री पवित्र पासवान	सहायक अभियंता, विद्युत् कार्य प्रमण्डल, पटना	9431421446
11	श्री मंजूर नसीर	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पटना पश्चिमी, पटना	9334745200
12	श्री दीपक कुमार	सहायक अभियंता, दूरभाष, बी0एस0एन0एल0, पटना	2020288
13	श्री के0के0वर्मा	कनीय अभियंता, पाटलिपुत्र प्रमण्डल, पटना	9334031558
14	श्री सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी	सहायक अभियंता, यांत्रिक अवर प्रमण्डल, पटना पश्चिम, पटना	9835431812
15	श्री अरुण प्रसाद गुप्ता	कनीय अभियंता, लो0स्वा0प्रम0, पटना पश्चिमी	

4. भवन निर्माण विभाग :

4.1 भवन निर्माण विभाग द्वारा निम्नांकित कार्य अपेक्षित है :-

कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्रा भवन प्रमण्डल श्री राम निवास दुबे ने बताया कि विभाग द्वारा रसोईघर का निर्माण, सुरक्षा गाड़ को रहने हेतु बैरक का निर्माण, पाच वाहनों के लिए गैरेज का निर्माण, परिसदन 24 कमरों में मार्बरेट टाइल्स एवं रंगाई-पुताई का कार्य तथा स्टाफ क्वार्टर की मरम्मत का कार्य स्वीकृत है। इस कार्य हेतु टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा अनुबंध के पश्चात् कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इनका प्राक्कलन 47.00 लाख रुपये का है। श्री दुबे को निदेश दिया गया कि प्रत्येक कार्य के प्राक्कलन का abstract नजारत उप समाहर्ता को दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दें। नजारत उप समाहर्ता इसे संचिका के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी 2के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे ताकि क्या-क्या कार्रवाई की जा रही है इसका अनुश्रवण करने में सुविधा होगी।

(अनुपालन: कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्रा भवन प्रमण्डल पटना / नजारत उप समाहर्ता, पटना)

4.2 भवन निर्माण विभाग द्वारा निम्नांकित कार्य कराने की आवश्यकता है :-

(1) सभी कमरों में विजली की concealed wiring के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ मरम्मत करेंगे तथा रंगाई-पोताई अच्छी गुणवत्ता के साथ करेंगे। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कुल 18 कमरों का concealing करना है। concealing का कार्य 10 कमरों में पूर्ण कर लिया गया है। शेष कमरों में जैसे-जैसे कमरे मिलते जायेंगे,

concealing का कार्य किया जायगा। इस कार्य के लिए एक वार एक फ्लोर का मिलना आवश्यक है।

निदेश दिया गया कि जब तक 18 कमरों का concealing कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक अन्य कमरों में काम प्रारंभ नहीं करें। श्री ए0एन0 सिन्हा, संवेदक द्वारा आश्वासन दिया गया कि 6 कमरों के concealing का कार्य एक सप्ताह में समाप्त कर दिया जायगा। उन्हें इस कार्य हेतु 30 नवम्बर तक का समय दिया गया।


- (2) नीचे के कमरों के लिए damp proof की कार्य योजना बनाकर अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे। इस सम्बन्ध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि पुराना भवन होने के कारण पूर्ण रूप से damp proof करना संभव नहीं है। इसके लिए वर्ष में कम-से-कम एक बार बरसात के मौसम के समय इसकी मरम्मती करना आवश्यक है जिसे कर दिया जायगा।
- (3) वर्तमान में जो रसोईघर है उसे तोड़कर तथा स्टाफ क्वार्टर को तोड़कर बहु मंजिला स्टाफ क्वार्टर बनाने की आवश्यकता है। इसका प्राक्कलन बना कर प्रस्तुत करेंगे।
कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इसका प्राक्कलन बन गया है जिसकी प्राक्कलित राशि 33.00लाख रुपये है। कुल 12फ्लैटों का निर्माण किया जाना है।
- (4) परिसदन के कैम्पस में सड़क बनाना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इसका प्राक्कलन तैयार है जिसकी कुल राशि 5.22 लाख है।
- (5) चार दीवारी में जोधपुर स्टोन लगवाना है। पथ निर्माण विभाग द्वारा नाला निर्माण के बाद यह कार्य सम्पन्न किया जायगा। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इसका प्राक्कलन अभी नहीं बना है।
- (6) ए0एन0सिन्हा इन्स्टीच्यूट के गेट के तर्ज पर गेट का निर्माण करना और गेट के बगल में गार्ड रूम बनाना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि इसका प्राक्कलन अभी नहीं बना है।
- (7) परिसदन के दोनों ब्लॉक को जोड़ने वाली जाली की मरम्मती करनी है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जाली की मरम्मती का कार्य हो गया है और रंगाई का कार्य शेष है।
- (8) तार पेल्टिंग का कार्य करना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि तार पेल्टिंग का कार्य हो गया है। मात्र पानी की टंकी के पास यह कार्य बाकी है।
- (9) प्रत्येक कमरे में तथा किचन में ग्रेनाइट का स्लैब (सफेद रंगा का) लगाना है। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्य चल रहा है। अभी तक छः कमरों में ग्रेनाइट का स्लैब लगा दिया गया। जैसे-जैसे कमरे उपलब्ध कराये जायेंगे, उनके ग्रेनाइट का कार्य किया जायगा।
- (10) रिसेप्शन काउण्टर अच्छे ढंग का बनाने का निदेश दिया गया। इसका अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है।

(अनुपालन: कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्रा भवन प्रमण्डल पटना)

5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना पश्चिम द्वारा बताया गया कि उनको निदेशित 24 कमरों में से 13 कमरों में कार्य सम्पन्न करा दिया गया है। शेष 11 कमरों में कार्य नहीं हुआ है क्योंकि राशि के अभाव में ठीकेदार कार्य नहीं कर रहे हैं। कार्यपालक अभियंता को निम्नांकित निदेश दिये गये :-

- (1) कम-से-कम 15 कमरों में गीजर लगाने का कार्य प्रारंभ करें।



इस सम्बन्ध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि नूँके गीजर लगाने के कार्य पर सरकार की अनुमति नहीं है, अतः इस सम्बन्ध में विभाग के सचिव के साथ जिलाधिकारी की वार्ता आवश्यक है।

- (2) वर्त्तमान में पानी टंकी त्रुटिपूर्ण है जिससे पानी over flow होने के कारण परिसदन के छत और दीवार भीग जाते हैं, फलस्वरूप उनके क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। इससे पानी की बरबादी भी हो रही है। इसे अविलम्ब ठीक करायें और एक मिस्त्री की प्रतिनियुक्ति हमेशा के लिए परिसदन में करना सुनिश्चित करें ताकि इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न होने पाये।

इस सम्बन्ध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि आवंटन की कमी के कारण राशि का अभाव है और राशि के अभाव में संवेदक काम नहीं कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में भी विभाग के सचिव के साथ जिलाधिकारी की वार्ता आवश्यक है। कार्यपालक अभियंता द्वारा यह भी बताया गया कि कमरा संख्या-32 में फिक्सर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

- (3) उद्यान में लगे चापाकल को ठीक कराना है।
(4) उद्यान में लगे बोरिंग के पाईप के खुले मुँह को ढंक देना है।
(अनुपालन: कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना पश्चिम)

6. विद्युत् विभाग :

कार्यपालक अभियंता, विद्युत् कार्य प्रमण्डल को निम्नांकित निदेश दिये गये :-

- (1) पटना परिसदन में concealed wiring कराना सुनिश्चित करें।
- (2) Broad Band की wiring कराना है।
- (3) टेलिफोन की वायरिंग कराना है।
- (4) केबुल की वायरिंग कराना है।
- (5) बिजली की वायरिंग कराना है।
- (6) उपर के 24 कमरों में A.C. लगाना है।
- (7) सभी कमरों में टेलिविजन (Flat) लगाने का निदेश दिया गया।
- (8) सभी कमरों में की Call bell की सुविधा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- (9) सभी कमरों का पंखा बदलना है।
- (10) सभी कमरों में Night lamp लगाना है।
- (11) सभी कमरों में exhauster लगाना है।
- (12) उपरोक्त सभी कार्य 1 दिसम्बर तक सम्पन्न कराना है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि टेण्डर का कार्य करने की दिशा में शीघ्र कार्रवाई की जायगी।

(अनुपालन: कार्यपालक अभियंता, विद्युत् कार्य प्रमण्डल, पटना)

7. दूरभाष :

मण्डल अभियंता, दूरभाष, बी0एस0एन0एल0 को निम्नांकित निदेश दिये गये :-

- (1) wiring facility उपलब्ध करायें।
- (2) सभी कमरों में दूरभाष की सुविधा सुनिश्चित करें।
- (3) जिस समय विद्युत् की वायरिंग की जाय उसी समय दूरभाष की वायरिंग का कार्य सम्पन्न किया जाय।
- (4) सभी कमरों में Intercom की व्यवस्था की जाय।

(अनुपालन: मण्डल अभियंता, दूरभाष, बी०एस०एन०एल०,पटना)

8. स्वच्छता अधिष्ठापन :

इस व्यवस्था के तहत पेलमेंट हटाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन: कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,पटना पश्चिम)

9. वन प्रमण्डल :

वन प्रमण्डल पदाधिकारी को पेड़ लगाने का निदेश दिया गया। साथ ही परिसदन के दोनों गेट के बगल में चन्दन का वृक्ष लगाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन: वन प्रमण्डल पदाधिकारी,पटना)

10. उद्यान प्रमण्डल :

कार्यपालक पदाधिकारी,उद्यान प्रमण्डल, भवन निर्माण विभाग,पटना द्वारा बताया गया कि उद्यान में पुराने गमलों के स्थान पर नये गमले लगा दिये हैं। पटना परिसदन के उद्यान के रख-रखाव के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा गहरा असंतोष व्यक्त किया गया और निदेश दिया गया कि उद्यान में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाये जायें और उनमें समुचित मात्रा में खाद भी डाला जाय। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि उद्यान की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा बेकार के घासों को हटाया जाय।

(अनुपालन: कार्यपालक पदाधिकारी,उद्यान प्रमण्डलपटना)

11. उपस्कर :

पटना परिसदन के लिए पलंग, टेबुल, कुर्सी, गोदरेज आलमीरा,चादर,गद्दा, तकिया इत्यादि क्रय करने के लिए राशि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा स्वीकृत हो गयी है। एक सप्ताह के अन्दर सभी उपस्कर क्रय करने का निदेश दिया गया। परिसदन के कमबलों(Blankets) की सफाई किस प्रकार की जानी है इसके लिए मौर्या होटल के अवधायक से सम्पर्क करने का निदेश पटना परिसदन के अवधायक को दिया गया। साथ ही कम-से-कम 10 कमरों में अविलम्ब उपस्कर लगाये जायें।

नजारत उप समाहर्ता द्वारा जानकारी दी गयी कि 10 कमरों के लिए गोदरेज का सामान क्रय करने हेतु राजस्व विभाग से 8,92,630/- का आवंटन प्राप्त होने की स्वीकृति मिल गयी है।

(अनुपालन: नजारत उप समाहर्ता,पटना / अवधायक,पटना परिसदन)

बैठक के पश्चात् अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा परिसदन में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि बैरक का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बैरक के बगल में पांच गैरेज भी बनाये जा रहे हैं। गैरेज के सामने परिसदन के भवन से सटे किचेन का निर्माण किया जा रहा है। निरीक्षण के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:-

- (1) कमरा संख्या-208 में पुराने नल के स्थान पर नया नल लगाया जाय।
- (2) परिसदन के उद्यान में पी०सी०सी० का निर्माण किया जाय।
- (3) कमरों के किचेन में लगे वेंटिलेटर में जाली लगायी जाय।
- (4) गेट के बगल में परिसदन के पुराने बोर्ड को हटाया जाय।

(राज किशोर सिन्हा)

अपर जिला दण्डाधिकारी,नजारत,पटना।

प्रतिलिपि : ज्ञापांक-XI-6/07.....1723...../नजा0,पटना,दिनांक 20.11.07
प्रतिलिपि : सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
जिलाधिकारी,पटना/आयुक्त,पटना प्रमण्डल,पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिला दण्डाधिकारी,नजारत,पटना।

प्रतिलिपि : ज्ञापांक-XI-6/07.....1723...../नजा0,पटना,दिनांक 20.11.07
सचिव, राजस्व पर्षद,बिहार,पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिला दण्डाधिकारी,नजारत,पटना।

प्रतिलिपि : ज्ञापांक-XI-6/07.....1723...../नजा0,पटना,दिनांक 20.11.07
सचिव, उर्जा विभाग,बिहार,पटना/विकास आयुक्त,,बिहार,पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिला दण्डाधिकारी,नजारत,पटना।

प्रतिलिपि : ज्ञापांक-XI-6/07.....1723...../नजा0,पटना,दिनांक 20.11.07
मुख्य सचिव, बिहार,पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिला दण्डाधिकारी,नजारत,पटना।

डॉ० बी० राजेन्द्र, भा० प्र० से०, जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 4.11.2007 को पटना परिसदन के विकास के लिए सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

1. प्रस्तावना :

पटना परिसदन बिहार राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। इस परिसदन में अति विशिष्ट महानुभावों का बिहार के अतिथि के रूप में आवास होता है। परन्तु परिसदन के समुचित रख-रखाव के अभाव में अतिथियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण राज्य की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राज्य के अतिथियों को महंगे होटलों में आवास करना पड़ता है जिससे राज्य पर वित्तीय बोझ पड़ता है। अतः यह निर्णय लिया गया कि पटना परिसदन के आवास, विद्युत्, पेय जल एवं अन्य सुविधाओं को उच्च स्तरीय बनाने हेतु निरंतर अनुश्रवण करने की आवश्यकता है। अतः प्रत्येक 15 दिन पर यह बैठक आयोजित करना अनिवार्य है।

2. बैठक की व्यवस्था :

यह बैठक प्रत्येक माह के प्रथम रविवार एवं तृतीय रविवार को पूर्वाह्न 10.00 बजे से पटना परिसदन में आयोजित की जायगी। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी स्वयं करेंगे। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता अपर जिला दण्डाधिकारी-सह-वरीय प्रभारी, नजारात करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में डॉ० गहेन्द्र पाल, नजारात उप समाहर्ता, पटना बैठक की समन्वयता करेंगे। लेकिन बैठक निश्चित रूप से प्रत्येक 15 दिन पर होनी चाहिए। बैठक की कार्यवाही जिलाधिकारी के आशुलिपिक श्री मधुकर द्वारा नोट की जायगी जिसे वे 24 घंटे के अन्दर तैयार प्रस्तुत करेंगे तथा जिलाधिकारी उसे 24 घंटे के अन्दर अनुमोदित करेंगे। कार्यवाही के अनुमोदनोपरान्त नजारात उप समाहर्ता 24 घंटे के अन्दर सभी सदस्यों को बैठक की कार्यवाही निश्चित रूप से हस्तगत करा देंगे। बैठक के दो दिन पूर्व विगत बैठक में दिये गये निदेशों एवं लिये गये निर्णयों का अनुपालन प्रतिवेदन नजारात उप समाहर्ता को सम्बन्धित पदाधिकारी उपलब्ध करायेंगे ताकि अगली कार्य योजना तैयार करने में आसानी होगी एवं किये गये कार्य का आकलन करने में भी सुविधा होगी।

इस बैठक में कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण, पाटलिपुत्रा भवन प्रमण्डल, पटना, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना पश्चिमी, कार्यपालक अभियंता, विद्युत् कार्य प्रमण्डल, पटना, कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन (यांत्रिक), पटना, अपर जिला दण्डाधिकारी-सह-वरीय प्रभारी, नजारात, पटना, नजारात उप समाहर्ता, पटना, नयाचार पदाधिकारी, पटना, कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमण्डल, पटना, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पटना, मंडल अभियंता, दूरभाष, बी०एस०एन०एल०, पटना, कार्यपालक पदाधिकारी, पटना नगर निगम, पटना एवं अवधायक, पटना परिसदन, पटना भाग लेंगे। यह स्थायी आदेश माना जायगा।

(अनुपालन: सभी सम्बन्धित पदाधिकारी)

3. उपस्थिति :

क्रम	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या
1	डॉ० बी० राजेन्द्र	जिलाधिकारी, पटना	2219097 2219545 9835026485
2	श्री आर०के० सिन्हा	अपर जिला दण्डाधिकारी, नजारात, पटना	9431245002
3	श्री आर०एन० दूबे	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पाटलिपुत्रा भवन प्रमण्डल, पटना	9431877705

1

4	श्री दिनेश कुमार	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना पश्चिमी, पटना	9334128107
5	श्री एसकेके0सिंह	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमण्डल, पटना	9334913621
6	श्री असीम कुमार	कार्यपालक अभियंता, विद्युत् कार्य प्रमण्डल, पटना	9835096400
7	श्री ए0 के0 प्रसाद	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पटना	9431815971
8	श्री शमशाद अली	मंडल अभियंता, दूरभाष, बी0एस0एन0एल0, पटना	9431019070
9	डॉ0 महेन्द्र पाल	नजारत उप समाहर्ता, पटना	9835039738
10	श्री मनोज कुमार चौधरी	नयाचार पदाधिकारी, पटना	9835037184
10	श्री नरेश कुमार गुप्ता	सहायक अभियंता, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पाटलिपुत्र भवन प्रमण्डल, पटना	9835290337
11	श्री पवित्र पासवान	सहायक अभियंता, विद्युत् कार्य प्रमण्डल, पटना	9431421446
12	श्री मंजूर नसीर	सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पटना पश्चिमी, पटना	9334745200
13	श्री दीपक कुमार	सहायक अभियंता, दूरभाष, बी0एस0एन0एल0, पटना	2020288
14	श्री के0के0वर्मा	कनीय अभियंता, पाटलिपुत्र प्रमण्डल, पटना	9334031558
15	श्री सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी	सहायक अभियंता, यांत्रिक अवर प्रमण्डल, पटना पश्चिम, पटना	9835431812

4. भवन निर्माण विभाग :

4.1 भवन निर्माण विभाग द्वारा निम्नांकित कार्य अपेक्षित है :-

कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्रा भवन प्रमण्डल श्री राम निवास दुबे ने बताया कि विभाग द्वारा रसोईघर का निर्माण, सुरक्षा गाड़ को रहने हेतु बैरक का निर्माण, पाच वाहनों के लिए गैरेज का निर्माण, परिसदन 24 कमरों में मार्बरेट टाइल्स एवं रंगाई-पोताई का कार्य तथा स्टाफ क्वार्टर की मरम्मत का कार्य स्वीकृत है। इस कार्य हेतु टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा अनुबंध के पश्चात् कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इनका प्राक्कलन 47.00 लाख रुपये का है। श्री दुबे को निदेश दिया गया कि प्रत्येक कार्य के प्राक्कलन का abstract नजारत उप समाहर्ता को दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दें। नजारत उप समाहर्ता इसे संचिका के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे ताकि क्या-क्या कार्रवाई की जा रही है इसका अनुश्रवण करने में सुविधा होगी।

(अनुपालन: कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्रा भवन प्रमण्डल पटना / नजारत उप समाहर्ता, पटना)

4.2 भवन निर्माण विभाग द्वारा निम्नांकित कार्य कराने की आवश्यकता है :-

- (1) सभी कमरों में बिजली की concealed wiring के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ मरम्मत करेंगे तथा रंगाई-पोताई अच्छी गुणवत्ता के साथ करेंगे।
- (2) नीचे के कमरों के लिए damp proof की कार्य योजना बनाकर अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

- वर्तमान में जो रसोईघर है उसे तोड़कर तथा स्टाफ क्वार्टर को तोड़कर बहु मंजिला स्टाफ क्वार्टर बनाने की आवश्यकता है। इसका प्रावधान बना कर प्रस्तुत करेंगे।
- (4) परिसदन के कैंपस में सड़क बनाना है।
 - (5) चार दीवारी में जोधपुर स्टोन लगवाना है। पथ निर्माण विभाग द्वारा नाला निर्माण के बाद यह कार्य सम्पन्न किया जायगा।
 - (6) ए0एन0सिन्हा इन्स्टीच्यूट के गेट के तर्ज पर गेट का निर्माण करना और गेट के बगल में गार्ड रूम बनाना है।
 - (7) परिसदन के दोनों ब्लॉक को जोड़ने वाली जाली की मरम्मत करनी है।
 - (8) तार पेल्टिंग का कार्य करना है।
 - (9) प्रत्येक कमरे में तथा किचन में ग्रेनाइट का रलैव (सफेद रंग का) लगाना है।
 - (10) रिसेप्शन काउण्टर अच्छे ढंग का बनाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन: कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्रा भवन प्रमण्डल पटना)

5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग :

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना पश्चिम द्वारा बताया गया कि उनको निदेशित 24 कमरों में से 14 कमरों में कार्य सम्पन्न करा दिया गया है। वर्तमान में दो कमरों में कार्य चल रहा है। शेष कमरे जैसे-जैसे खाली होते जायेंगे उनमें कार्य सम्पन्न किया जायगा। कार्यपालक अभियंता को निम्नांकित निदेश दिये गये :-

- (1) कम-से-कम 15 कमरों में गीजर लगाने का कार्य प्रारंभ करें।
- (2) वर्तमान में पानी टंकी त्रुटिपूर्ण है जिससे पानी over flow होने के कारण परिसदन के छत और दीवार भीग जाते हैं, फलस्वरूप उनके क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। इससे पानी की बरबादी भी हो रही है। इसे अविलम्ब ठीक करायें और एक मिस्ट्री की प्रतिनियुक्ति हमेशा के लिए परिसदन में करना सुनिश्चित करें ताकि इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न होने पाये।
- (3) उद्यान में लगे चापाकल को ठीक कराना है।
- (4) कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अपने कार्यों के निष्पादन के क्रम में कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्रा भवन प्रमण्डल के सम्पर्क में रहेंगे।

(अनुपालन: कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना पश्चिम)

6. विद्युत् विभाग :

कार्यपालक अभियंता, विद्युत् कार्य प्रमण्डल को निम्नांकित निदेश दिये गये :-

- (1) पटना परिसदन में concealed wiring कराना सुनिश्चित करें।
- (2) Broad Band की wiring कराना है।
- (3) टेलिफोन की वायरिंग कराना है।
- (4) केबुल की वायरिंग कराना है।
- (5) बिजली की वायरिंग कराना है।
- (6) उपर के 24 कमरों में A.C. लगाना है।
- (7) सभी कमरों में टेलिविजन (Flat) लगाने का निदेश दिया गया।
- (8) सभी कमरों में की Call bell की सुविधा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- (9) सभी कमरों का पंखा बदलना है।
- (10) सभी कमरों में Night lamp लगाना है।
- (11) सभी कमरों में exhauster लगाना है।
- (12) उपरोक्त सभी कार्य 1 दिसम्बर तक सम्पन्न कराना है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि टेण्डर का कार्य पूरा कर लिया गया है और इसे स्वीकृति हेतु भेजा गया है। निर्णय लिया गया कि विद्युत् कार्य के काम में भवन को हुई क्षति की भरपाई विद्युत् कार्य प्रमण्डल द्वारा की जायगी।

(अनुपालन: कार्यपालक अभियंता, विद्युत् कार्य प्रमण्डल,पटना)

7. दूरभाष :

मण्डल अभियंता, दूरभाष, वी0एस0एन0एल0 को निम्नांकित निदेश दिये गये :-

- (1) wiring facility उपलब्ध करायें।
- (2) सभी कमरों में दूरभाष की सुविधा सुनिश्चित करें।
- (3) जिस समय विद्युत् की वायरिंग की जाय उसी समय दूरभाष की वायरिंग का कार्य सम्पन्न किया जाय।
- (4) सभी कमरों में Intercom की व्यवस्था की जाय।

(अनुपालन: मण्डल अभियंता, दूरभाष, वी0एस0एन0एल0,पटना)

8. स्वच्छता अधिष्ठापन :

इस व्यवस्था के तहत filment हटाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन: कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,पटना पश्चिम)

9. वन प्रमण्डल :

वन प्रमण्डल पदाधिकारी को पेड़ लगाने का निदेश दिया गया। साथ ही परिसदन के दोनों गेट के बगल में चन्दन का वृक्ष लगाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन: वन प्रमण्डल पदाधिकारी,पटना)

10. उद्यान प्रमण्डल :

कार्यपालक पदाधिकारी,उद्यान प्रमण्डल, भवन निर्माण विभाग,पटना के कार्यों के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए परिसदन के कार्यों में व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर ससमय कार्य सम्पादन का निदेश दिया गया। उद्यान में पुराने गमलों के स्थान पर नये गमले लगाने हैं।


(अनुपालन: कार्यपालक पदाधिकारी,उद्यान प्रमण्डल,पटना)

11. उपस्कर :

पटना परिसदन के लिए पलंग, टेबुल, कुर्सी, गोदरेज आलमीरा,चादर,गद्दा, तकिया इत्यादि क्रय करने के लिए राशि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा स्वीकृत हो गयी है। एक सप्ताह के अन्दर सभी उपस्कर क्रय करने का निदेश दिया गया। परिसदन के कम्बलों(Blankets) की सफाई किस प्रकार की जानी है इसके लिए मौर्या होटल के अवधायक से सम्पर्क करने का निदेश दिया गया। साथ ही कम-से-कम 10 कमरों में अविलम्ब उपस्कर लगाये जायें।

(अनुपालन: नजारत उप समाहर्ता,पटना)

बैठक के पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा परिसदन में चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के काम में सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों का समुचित निदेश दिये गये।


(बी0 राजेन्द्र)
जिलाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक-XI-6/07...../1648...../नजा0,पटना,दिनांक 05/11/07

प्रतिलिपि : सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : आयुक्त,पटना प्रमण्डल,पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Majumdar
4.11.2007
जिलाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक—XI-6/07...../16.9.07...../नजा0,पटना,दिनांक 05/11/07
प्रतिलिपि : सचिव, राजस्व पर्यद,बिहार,पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Majumdar
4.11.2007
जिलाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक—XI-6/07...../16.9.07...../नजा0,पटना,दिनांक 05/11/07
प्रतिलिपि : सचिव, उर्जा विभाग,बिहार,पटना/विकास आयुक्त,,बिहार,पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Majumdar
4.11.2007
जिलाधिकारी,पटना।

ज्ञापांक—XI-6/07...../16.9.07...../नजा0,पटना,दिनांक 05/11/07
प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार,पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Majumdar
4.11.2007
जिलाधिकारी,पटना।

CmM 11/1

डॉ० बी० राजेन्द्र, जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक -6.10.07 को पटना परिसदन के विकास के लिए सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :-

- उपरिस्थिति:-
1. डॉ० बी० राजेन्द्र, जिलाधिकारी, पटना।
 2. श्री आर० के० सिन्हा, अपर जिला दण्डाधिकारी, नजारात, पटना।
 3. डॉ० महेशपाल, नजारात उप समाहर्ता, पटना।
 4. डॉ० बी०एन० सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, नगर निगम, पटना।
 5. श्री आर०एन० दूबे, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पाटलीपुत्र प्रमंडल, पटना।
 6. श्री दिनेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य, प्रमंडल पटना पश्चिमी।
 7. श्री एस० के० सिंह, कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, पटना।
 8. श्री असीम कुमार, कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना।
 9. श्री वरुण कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल, भ०नि०वि०, पटना।
 10. श्री नरेश कुमार गुप्ता सहायक अभियंता भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पाटलीपुत्र प्रमंडल, पटना।
 11. श्री पवित्र पासवान, सहायक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना।
 12. श्री मंजूर नसीर, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पटना पश्चिमी।
 13. श्री दीपक कुमार, सहायक अभियंता दूरभाष, बी०एस०एन०एल०, पटना।
 14. श्री के०के० वर्मा, कनीय अभियंता, पाटलीपुत्र भवन प्रमंडल, पटना।
 15. श्री शेखर कुमार यादव, कनीय अभियंता विद्युत, पटना।
 16. श्री शाहिद इकबाल, अवधायक, पटना परिसदन, पटना।

भूमिका:-
पटना परिसदन बिहार राज्य का एक अति महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। इस परिसदन में अति विशिष्ट महानुभाव एवं बिहार के बाहर के अतिथि का आवासन होता है, परन्तु परिसदन का समुचित रख-रखाव के अभाव में अतिथियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण राज्य की छवि पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।

राज्य के अतिथियों को अन्य महँगे होटलों में आवासन करना पड़ता है, जिससे वित्तीय बोझ भी राज्य पर पड़ता है।

अतः निर्णय लिया गया है कि परिसदन के आवास, विद्युत, पेयजल एवं अन्य व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाने हेतु प्रत्येक पन्द्रह दिनों में आयोजित होने वाले बैठक को जारी रखा जाय।

3. भवन:-

पटना परिसदन के उन्नयन के लिए भवन निर्माण विभाग को पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय से अवगत कराते हुए निम्नांकित निदेश दिये गये :-

- (1) परिसदन में नव निर्मित होने वाले गैरेज को परिसदन भवन के दक्षिण दिशा में जमीन पर बनाने का निदेश दिया गया।
- (2) कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग ने बतलाया कि "परिसदन पटना" को स्टील निर्मित मेटेरियल से उत्तर-पश्चिम दिवाल के सबसे उपरी हिस्से पर एवं "Circuit House, Patna" को दक्षिण पश्चिम दिवाल के उपरी हिस्से पर दिनांक 21.10.07 तक लगा दिया जायगा।
- (3) परिसदन के प्रथम एवं द्वितीय तल्ले के छज्जों की मरम्मत का कार्य अविलम्ब करने का निदेश दिया गया।
- (4) परिसदन के बाउण्ड्री वाल एवं गेट तथा गैट से सटे गार्ड रूम शीघ्र बनाने का दिनेश दिया गया।
- (5) कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण ने बतलाया कि पूर्व में भेजे गये सभी प्राक्कलन विभाग द्वारा स्वीकृत है। एक सप्ताह के भीतर कार्य प्रारम्भ की दी जायगी।
- (6) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु अविलम्ब पुराने पाईप को बदलने का निदेश दिया गया।
- (7) परिसदन में आवासन कर रहे कर्मचारियों के लिए दो लैट्रीन एवं दो वाथरूम अतिशीघ्र बनाने का निदेश दिया गया।

- (8) परिसदन के पर्दा बदलने हेतु कार्रवाई करने तथा पर्दा टांगने हेतु दरवाजे एवं खिड़की पर पेलमेंट हटाकर रड लगाने का निदेश दिया गया।
- (9) परिसदन के कमरों के दिवारों का रंग जिलाधिकारी महोदय से परामर्श करवा कर बदलने का निदेश दिया गया।
- (10) परिसदन के भू-तल के कमरों को डैम्प से बचाने हेतु आवश्यक तकनीकी उपाय करने एवं जबतक डैम्पनेस समाप्त नहीं हो पाता है तबतक प्रत्येक तीन माह में पी० ओ०पी० करने का निदेश दिया गया।
- (11) कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण ने बतलाया कि परिसदन के छतों पर आवश्यकता अनुसार टारफेव्टिंग का कार्य अक्टूबर 07 तक पुरा कर लिया जायगा।
- (12) विद्युत सम्बन्धि सभी कार्य हेतु आवश्यकतानुसार एक कमरे का कन्ट्रोल रूम के निर्माण का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:—कार्यपालकअभियंता,भ०नि०विभाग,पटना।)

4. विद्युत :-

पटना परिसदन के उन्नयन से संबंधित विद्युत विभाग को पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय से अवगत कराते हुए निम्नांकित निदेश दी गयी :-

- (1) विद्युत से संबंधित भेजे गये प्राक्कलन को वित्त विभाग से स्वीकृति अधेहस्ताक्षरी द्वारा शीघ्र करवा लिया जायगा।
- (2) परिसदन के कमरों में मोवाइल चार्ज करने हेतु पोआइन्ट, गीजर, डीश केबुल आदि का पोआइन्ट बैठाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना।)

5. दूरभाष :-

पटना परिसदन के उन्नयन से संबंधित पूर्व में लिए गये निर्णय के अनुपालन एवं विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:—मंडलअभियंता, दूरभाष, बी०एस०एन०एल०पटना।)

6. स्वच्छता अधिष्ठापन:-

- (1) कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण द्वारा बतलाया गया परिसदन के उत्तर तरफ के चार कमरों में कांसेलिंग कार्य पुरा हो गया है तथा दक्षिण के चार कमरों का कांसेलिंग का कार्य शीघ्र ही पुरा कर लिया जायगा।
- (2) परिसदन के सभी पानी टंकी को नया बदलने एवं वाथरूम आदि के पाइप को अविलम्ब बदलने का निदेश दिया गया।
- (3) परिसदन में पानी टंकी से ओभर फ्लो होने पर पानी को भवन पर से बाहर गिराने हेतु पाइप देने एवं वाथरूम आदि के पुराने पाइप को अविलम्ब बदलने का निदेश दिया गया।
- (4) परिसदन के कमरों का खराब सिंक को बदलने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:—कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना।)

7. उद्यान:-

1. श्री वरुण कुमार कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल, भ०नि०वि०, पटना के कार्यों के प्रति असन्तोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने परिसदन के कार्यों में व्यक्तिगत अभिरुची लेकर ससमय कार्य सम्पादन का निदेश दिया।

(अनुपालन :- कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल, भ०नि०वि०, पटना।)

8. अन्य व्यवस्था:-

1. परिसदन के सभी कमरों में आवंटन प्राप्ति के पश्चात गोदरेज आलमीरा कय करने का निदेश दिया गया।
2. परिसदन के सभी कमरों के लिए टेलीविजन कय करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
3. परिसदन के तैयार हो रहे कमरों हेतु फर्नीचर कय करने का निदेश दिया गया।
4. परिसदन के कमरों में खराब हुए गद्दे को बदलने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- नजारत उप समाहर्ता, पटना।)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Majumdar
11.10.2017
जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक. XI-6/07..... 1475 / नजा0, पटना, दिनांक 12/10/2007

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित पदाधिकारियों का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajendra
11.10.2007
जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक. XI-6/07..... 1475 / नजा0, पटना, दिनांक 12/10/2007

प्रतिलिपि:- सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajendra
11.10.2007
जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक.. XI-6/07..... 1475 / नजा0, पटना, दिनांक 12/10/2007

प्रतिलिपि:- सचिव, उर्जा विभाग बिहार, पटना / विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajendra
11.10.2007
जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक. XI-6/07..... 1475 / नजा0, पटना, दिनांक 12/10/2007

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajendra
11.10.2007
जिलाधिकारी,
पटना।

4 डॉ० बी० राजेन्द्र, जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक -9.09.07 को
पटना परिषदन के विकास के लिए सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :-

1. उपस्थिति:-

1. डॉ० बी० राजेन्द्र, भा०प्र०रो०, जिलाधिकारी, पटना।
2. श्री आर० के० सिन्हा, अपर जिला दण्डाधिकारी, नजारात, पटना।
3. डॉ० महेन्द्रपाल, नजारात उप समाहर्ता, पटना।
4. श्री मनोज कुमार चौधरी, नयाचार पदाधिकारी, पटना।
5. डॉ० बी०एन० सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी अंचल, नगर निगम, पटना।
6. श्री आर०एन० दूबे, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पाटलीपुत्र प्रमंडल, पटना।
7. श्री दिनेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल पटना, परिचमी।
8. श्री एस० के० सिंह, कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, पटना।
9. श्री असीम कुमार, कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना।
10. श्री वरूण कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल, भ०नि०वि०, पटना।
11. श्री नरेश कुमार गुप्ता सहायक अभियंता भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पाटलीपुत्र प्रमंडल, पटना।
12. श्री पवित्र पासवान, सहायक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना।
13. श्री मंजूर नसीर, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पटना परिचमी।
14. श्री दीपक कुमार, सहायक अभियंता दूरभाष, बी०एस०एन०एल०, पटना।
15. श्री के०के० वर्मा, कनीय अभियंता, पाटलीपुत्र भवन प्रमंडल, पटना।
16. श्री अरूण प्रसाद गुप्ता, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पटना परिचमी, पटना।
17. श्री शेखर कुमार यादव, कनीय अभियंता विद्युत, पटना।
18. श्री शाहिद इकबाल, अवधायक, पटना परिषदन, पटना।

2. भूमिका:-

पटना परिषदन बिहार राज्य का एक अति महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। इस परिषदन में अति विशिष्ट महानुभाव एवं बिहार के बाहर के अतिथि का आवासन होता है, परन्तु परिषदन का समुचित रख-रखाव के अभाव में अतिथियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण राज्य की छवि पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।

राज्य के अतिथियों को अन्य महँगे होटलों में आवासन करना पड़ता है, जिससे वित्तीय बोझ भी राज्य पर पड़ता है।

अतः निर्णय लिया गया है कि परिषदन के आवास, विद्युत, पेयजल एवं अन्य व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाने हेतु प्रत्येक पन्द्रह दिनों में आयोजित होने वाले बैठक को जारी रखा जाय।

3. भवन:-

पटना परिषदनके उन्नयन के लिए भवन निर्माण विभाग को पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय से अवगत कराते हुए निम्नांकित निदेश दी गयी:-

- (1) कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा बतलाया गया कि धौलपुर स्टोन लगाने कार्य, परिषदन के छः कमरों में मार्बोनेट लगाने का कार्य, एवं भू-तल के कमरों के पिछवाड़े के दरवाजे को बन्द करने का कार्य पुरा कर लिया गया है। उक्त कार्य को ससमय पूरा करने के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा धन्यवाद दिया गया।
- (2) परिषदन के तीन कमरों में मार्बोनेट लगाने का कार्य प्रारम्भ कर दी गई है।
- (3) परिषदन के छज्जा मरम्मत का कार्य अविलम्ब करने का निदेश दिया गया।
- (4) परिषदन में नव निर्मित होने वाले गैराज को परिषदन के उत्तर दिशा में जमीन पर बनाने का निदेश दिया गया।
- (5) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु अविलम्ब पुराने पाईप को बदलने का निदेश दिया गया।
- (6) परिषदन के भवनों पर उग आये पौधों को अविलम्ब कटवाने का निदेश दिया गया।
- (7) परिषदन के वाथरूम में मार्बल कटींग अच्छी ढंग से करने का निदेश दिया गया।

- (8) परिसदन में आवासन कर रहे कर्मचारियों के लिए दो लैट्रीन एवं दो वाथरूम बनाने का निदेश दिया गया।
- (9) परिसदन के पानी बदलने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- (10) "परिसदन पटना" को स्टील निर्मित मेटेरियल से उत्तर-पश्चिम दिवाल के सबसे उपरी हिस्से पर एवं "Circuit House, Patna" को दक्षिण पश्चिम दिवाल के उपरी हिस्से पर यथाशीघ्र लगाने का निदेश दिया गया।
- (11) परिसदन के कमरों के दिवारों का रंग बदलकर लाइट पिस्ता कलर में करने का निदेश दिया गया।
- (12) परिसदन के भू-तल के कमरों को डैम्प से बचाने हेतु आवश्यक तकनीकी उपाय करने एवं जयतक डैम्पनेस समाप्त नहीं हो जाता है, तबतक प्रत्येक छ. माह में पुताई करने का निदेश दिया गया।
- (13) कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण ने बतलाया कि पूर्व में भेजे गये सभी प्राक्कलन, किभाग द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है और ग्रांट ही निदेशानुसार सभी कार्य पूरे कर लिये जायेंगे।
- (14) कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग ने बतलाया कि परिसदन में पूर्व में निर्मित किचन को ही विस्तारित कर एक भव्य किचन का निर्माण शीघ्र पुरा कर लिया जायगा। इस हेतु प्राक्कलन में आवश्यक संशोधन विभाग से करा लिया जायगा।
- (15) कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण ने बतलाया कि परिसदन के छतों पर आवश्यकता अनुसार टारपेंटिंग का कार्य अक्टूबर 07 तक पूरा कर लिया जायगा।
- (16) विद्युत सम्बंधी सभी कार्य हेतु आवश्यकतानुसार एक कमरे का 'कन्ट्रोल रूम' के निर्माण का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- कार्यपालक अभियंता, म0नि0दिनाग, पटना।)

4. विद्युत :-

पटना परिसदन के उन्नयन से संबंधित विद्युत विभाग को पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय से अवगत कराते हुए निम्नांकित निदेश दिया गया :-

- (1) अवधायक ने बतलाया कि परिसदन के कमरा सं0 31,32,35,36,39,40 एवं 41 में पंखा लगाना आवश्यक है जिस पर विद्युत कार्यपालक अभियंता ने बतलाया कि एक सप्ताह के अन्दर उक्त सभी कमरों में पंखा एवं अन्य आवश्यक वायरिंग करा दिया जायगा।
- (2) पंखा एवं बिजली के आवश्यक मरम्ति के बाद दिनांक 20.09.07 दिन गुरुवार को 5.00 बजे अप0 में जिलाधिकारी नहोदय द्वारा निरीक्षण किया जायगा।

(अनुपालन :- कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना।)

5. दूरभाष :-

पटना परिसदन के उन्नयन से संबंधित पूर्व में लिए गये निर्णय के अनुपालन एवं विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- मंडल अभियंता, दूरभाष, बी0एस0एन0एल0पटना।)

6. स्वच्छता अधिष्ठापन :-

- (1) परिसदन के उत्तर तरफ के चार कमरों में अविलम्ब कांसेलिंग कार्य पूरा करने का निदेश दिया गया।
- (2) परिसदन के सभी पानी टंकी को नया बदलने एवं वाथरूम आदि के पाइप को अविलम्ब बदलने का निदेश दिया गया।
- (3) परिसदन में पानी टंकी से ओभर फ्लो होने पर पानी को भवन पर से बाहर गिराने हेतु पाइप देने एवं वाथरूम आदि के पुराने पाइप को अविलम्ब बदलने का निदेश दिया गया।
- (4) परिसदन के वाथरूम आदि के नल में पानी रिसने से कोई लग जाती है जिसको सप्ताह में दो दिन सभी पाइपों को देखकर मरम्ति करते रहने का निदेश दिया गया।
- (5) कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण को निदेश दिया गया कि व्यक्तिगत अनिरुची लेकर सभी कार्यों को करायें।

(अनुपालन :- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना।)

उद्यान-
परिसर के अन्दर लगे अशोक वृक्ष को सुन्दर हंग से ष्टाई कराने का निदेश दिया गया ।
कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान ने बतलाया कि एक सप्ताह में परिसर में फूलों से सजा गवला रंगा दिया जायगा ।

(अनुपालन :- कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल, भा०नि०वि०, पटना ।)

अन्य व्यवस्था-
परिसर के डायनिंग हॉल हेतु गोदरेज सोफा सेट खरीदने का निदेश दिया गया ।
परिसर के पंखों को रूरे पेन्ट कराने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- नजारत उप समाहर्ता, पटना ।)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

Rajendra
15.9.2007
जिलाधिकारी,
पटना ।

ज्ञापांक: XI-6/07 1322 / नजा०, पटना, दिनांक 17/9/07
प्रतिलिपि:- सभी संबंधित पदाधिकारियों का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि:- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

Rajendra
15.9.2007
जिलाधिकारी,
पटना ।

ज्ञापांक. XI-6/07 1322 / नजा०, पटना, दिनांक 17/9/07

प्रतिलिपि:- सचिव, राजस्व पर्यद, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

Rajendra
15.9.2007
जिलाधिकारी,
पटना ।

ज्ञापांक.. XI-6/07 1322 / नजा०, पटना, दिनांक 17/9/07
प्रतिलिपि:- सचिव, उर्जा विभाग बिहार, पटना / विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

Rajendra
15.9.2007
जिलाधिकारी,
पटना ।

ज्ञापांक- XI-6/07 1322 / नजा०, पटना, दिनांक 17/9/07
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

Rajendra
15.9.2007
जिलाधिकारी,
पटना ।

डॉ० बी० राजेन्द्र, जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक -29.07.07 को पटना परिसदन के विकास के लिए सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :-

1. उपस्थिति:-

1. डॉ० बी० राजेन्द्र, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी, पटना।
2. श्री ऐ० के० प्रसाद, वन प्रमंडल, पदाधिकारी, पटना
3. श्री आर० के० सिन्हा, अपर जिला दण्डाधिकारी, नजारत, पटना।
4. डॉ० महेन्द्रपाल, नजारत उप सगाहर्ता, पटना।
5. श्री आर०एन० दूबे, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पाटलीपुत्र प्रमंडल, पटना।
6. श्री दिनेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य, प्रमंडल पटना पश्चिमी।
7. श्री कामेश्वर सिंह, कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, पटना।
8. श्री असीम कुमार, कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना।
9. श्री वरुण कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल, भ०नि०वि०, पटना।
10. श्री नरेश कुमार गुप्ता सहायक अभियंता भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पाटलीपुत्र प्रमंडल, पटना।
11. श्री के०के० वर्मा, कनीय अभियंता, पाटलीपुत्र भवन प्रमंडल, पटना।
12. श्री अरुण प्रसाद गुप्ता, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पटना पश्चिमी, पटना।
13. श्री शेखर कुमार यादव, कनीय अभियंता विद्युत, पटना।
14. श्री शाहिद इकबाल, अवधायक, पटना परिसदन, पटना।

2. भूमिका:-

पटना परिसदन बिहार राज्य का एक अति महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। इस परिसदन में अति विशिष्ट महानुभाव एवं बिहार के बाहर के अतिथि का आवासन होता है, परन्तु परिसदन का समुचित रख-रखाव के अभाव में अतिथियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण राज्य की छवि पर पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।

राज्य के अतिथियों को अन्य महँगे होटलों में आवासन करना पड़ता है, जिससे वित्तीय बोझ राज्य पर पड़ता है।

अतः निर्णय लिया गया है कि परिसदन के आवास, विद्युत, पंजल एवं अन्य व्यवस्था को उस्तरीय बनाने हेतु प्रत्येक पन्द्रह दिनों में आयोजित होने वाले बैठक को जारी रखा जाय।

3. भवन:-

पटना परिसदनके उन्नयन के लिए भवन निर्माण विभाग को पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय से अवगत कराते हुए निम्नांकित निदेश दी गयी:-

- (1) पूर्व बैठक में माँगे गये स्पष्टीकरण का जवाब अभी तक अप्राप्त रहने पर छोभ व्यक्त करते हुए दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण देने का निदेश दिया गया।
- (2) कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, पटना द्वारा धौलपुर स्टोन लगाने कार्य अभी तक समाप्त नहीं होने के संबंध में बताया गया कि अति बृष्टि के कारण कार्य बाधित हो रहा है, उन्होंने बताया कि दिनांक 20 अगस्त 07 तक स्टोन लगाने का कार्य पूरा कर दिया जायगा।
- (3) कार्यपालक अभियंता, भवन ने बताया कि परिसदन के नौ कमरों में बेस्ट क्वालिटी के मार्बोनेट टाइल्स लगाने का कार्य दिनांक 20.08.07 तक पूरा कर लिया जायगा।
- (4) परिसदन के भू-तल के कमरों में लगे पीछे के दरवाजे से सॉप, छुछुन्दर आदि का प्रवेश होने कारण अविलम्ब दरवाजे को ईट से बन्द करने का निदेश दिया गया।

- (5) परिसदन में पीछे बने पुराने गैराज आदि को अविलम्ब ध्वस्त कर स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार बैरक, गैराज, स्टाफ क्वार्टर आदि बनाने का कार्य प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।
- (6) परिसदन में कम से कम दस गैराज निर्माण का निदेश दिया गया, अगर इसके लिए आवश्यकता हुई तो प्राक्कलन बना कर स्वकृति हेतु भेजकर स्वीकृति प्राप्त कर गैराज निर्माण कार्य किये जाने का भी निदेश दिया गया।
- (7) अवधायक पटना परिसदन ने अवगत कराया कि सभी कर्मचारी के क्वार्टर में पानी टपकता है जिसे अविलम्ब ठीक कराने का निदेश दिया गया।
- (8) किचन, स्टाफ क्वार्टर आदि निर्माण होने के बाद परिसदन के पीछे भाग में बने किचन एवं क्वार्टर को ध्वस्त करने का निदेश दिया गया।
- (9) परिसदन के सभी कमरों के बाथरूम में बेस्ट क्वालिटी के मार्बोनेट टाइल्स बारी-बारी कर लगाने का निदेश दिया गया।
- (10) कार्यपालक अभियंता, भवन द्वारा बताया गया कि बैरक, किचन, स्टाफ क्वार्टर आदि बनाने का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कर इसे छः माह के अन्दर पुरा कर लिया जायगा, जिसपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि कार्य में अनावश्यक विलम्ब न हो जिसका पुरा-पुरा ध्यान रखा जाय।
- (11) परिसदन में निर्माण होने वाले बैरक, किचन, स्टाफ क्वार्टर आदि का नींब ऐसा तैयार किया जाय कि उसके उपर भी भवन निर्माण कार्य किया जा सके साथ ही परिसदन के लिए और कमरों के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति प्राप्त करने कि दिशा में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- कार्यपालक अभियंता, भ0नि0विभाग, पटना।)

4. विद्युत :-

पटना परिसदन के उन्नयन से संबंधित विद्युत विभाग को पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय से अवगत कराते हुए निम्नांकित निदेश दी गयी:-

- (1) परिसदन के सौन्दर्यीकरण हेतु भेजे गए प्राक्कलन की स्वीकृति हेतु अधोहस्ताक्षरी के स्तर से प्रयास किया जा रहा है। जब तक स्वीकृति नहीं हो जाती है, तब तक निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता आवश्यकतानुसार कार्य करते रहेंगे।

(अनुपालन :- कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना)

5. दूरभाष :-

पटना परिसदन के उन्नयन से संबंधित पूर्व में लिए गये निर्णय के अनुपालन एवं विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- मंडल अभियंता, दूरभाष, बी0एस0एन0एल0पटना।)

6. स्वच्छता अधिष्ठापन:-

भवन विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना।)

7. उद्यान:-

परिसदन के सौंदर्यकरण हेतु पाँच हजार पौधा सहित गमला का प्राक्लन की स्वीकृति के दिशा में ठोस प्रयास करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल, म०नि०वि०, पटना ।)

8. अन्य व्यवस्था:-

1. वन प्रमंडल पदाधिकारी के स्वकृत्योचित के बाद जिला नजारत उप समाहर्ता को निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग से सम्पर्क स्थापित कर परिसदन के घेरा के बगल में उग आये सिमल वृक्ष, ताड़ का वृक्ष, परिसदन के अन्दर के वरगद वृक्ष के टहनी को एवं अन्य छोटे पौधों को अविलम्ब कटवाकर हटाने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन :- नजारत उप समाहर्ता, पटना ।)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

Majumdar
2.8.2007
जिलाधिकारी,
पटना ।

ज्ञापांक. XI-6/07.....1111...../नजा०,पटना,दिनांक...6.8.07.....

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित पदाधिकारियों का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

Majumdar
2.8.2007
जिलाधिकारी,
पटना ।

ज्ञापांक. XI-6/07.....1111...../नजा०,पटना,दिनांक...6.8.07.....

प्रतिलिपि:- सचिव, राजस्व पर्वद, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

Majumdar
2.8.2007
जिलाधिकारी,
पटना ।

ज्ञापांक.. XI-6/07.....1111...../नजा०,पटना,दिनांक...6.8.07.....

प्रतिलिपि:- सचिव, उर्जा विभाग बिहार, पटना / विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित

Majumdar
2.8.2007
जिलाधिकारी,
पटना ।

ज्ञापांक. XI-6/07.....1111...../नजा०,पटना,दिनांक...6.8.07.....

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

Majumdar
2.8.2007
जिलाधिकारी,
पटना ।

90

दिनांक 22.6.07 को डॉ० बी० राजेन्द्र, जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में पटना परिसदन के विकास हेतु सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

1. उपस्थिति

1. डॉ० बी० राजेन्द्र, भा० प्र० से०, जिलाधिकारी, पटना।
2. श्री आर० के० सिन्हा, अपर जिला दण्डाधिकारी, नजारात
3. श्री मनोज कुमार चौधरी, नयाचार पदाधिकारी, पटना
4. डॉ० महेन्द्र पाल, नजारात उप समाहर्ता, पटना
5. श्री दिनेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिमी
6. श्री आर० एन० दूवे, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पाटलीपुत्रा प्रमंडल, पटना।
7. श्री नरेश कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पाटलीपुत्रा प्रमंडल, पटना।
8. श्री कामेश्वर सिंह, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, पटना।
9. श्री असीम कुमार, कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना।
10. श्री शत्रुघन राय, मंडल अभियंता, दूरभाष, पटना
11. श्री वरुण कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना।
12. श्री के० के० वर्मा, कनीय अभियंता, पाटलीपुत्रा भवन प्रमंडल, पटना।

2. भूमिका

पटना परिसदन, बिहार राज्य का एक अति महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। इस परिसदन में अतिविशिष्ट महानुभावों एवं बिहार के अतिथियों का आवासन होता है। परन्तु परिसदन के समुचित रख-रखाव के अभाव में अतिथियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण राज्य की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अतः निर्णय लिया गया है कि परिसदन के आवास, विद्युत, पेयजल एवं अन्य व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाने हेतु प्रत्येक पन्द्रह दिनों में आयोजित होने वाली बैठक को जारी रखा जाय।

3. भवन

(क) कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 20.5.07 को यह बताया गया था कि संवेदक की हत्या के कारण धौलपुर स्टोन लगाने का कार्य बन्द पड़े है। उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि यह कार्य दिनांक 05.06.07 तक अचूक रूप से पूरा कर दी जायेगी। आज दिनांक 22.06.07 तक यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा सही रूप से आंकलन नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण पूछा जाय कि जिलाधिकारी को दिये गये आश्वासन को पूरा क्यों नहीं किया गया और क्यों नहीं इसके लिये उनके विरुद्ध सरकार को प्रतिवेदित किया जाय। आज दिनांक 22.6.07 को पुनः कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा संवेदक की हत्या के कारण बन्द पड़े धौलपुर स्टोन लगाने का कार्य 20 (बीस) दिनों में पूरा कर लेने का आश्वासन दिया गया। परन्तु उन्हें 30 (तीस) दिनों का समय दिया जाता है अर्थात् दिनांक 22.7.07 तक पूर्ण करने हेतु अन्तिम मौका

दिया जाता है। यदि समय-सीमा के अन्दर उनके द्वारा कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो वैसी दशा में उनके विरुद्ध सरकार को प्रतिवेदित किया जायेगा।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पाटलीपुत्रा प्रमंडल)

(ख) कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण एवं आवास विभाग पाटलीपुत्रा प्रमंडल, पटना श्री राम निवास दूवे ने बताया कि परिसदन की पूर्व में प्रस्तावित वैरेक, किचेन, स्टाफ क्वार्टर, गेट, वाउन्ड्रीवाल इत्यादि का करीब सैतालीस लाख रूपये का प्राक्कलन तैयार किया गया है। उनके द्वारा दिनांक 20.05.07 की बैठक में यह बताया गया था कि यह कार्य दिनांक 10.06.07 तक प्रारम्भ कर दी जायेगी। परन्तु आज इनके द्वारा बताया गया कि दो दिन पूर्व निविदा प्राप्त किया गया है और अनुमोदन हेतु अधीक्षण अभियंता के पास भेज दी गयी है। उन्हें निदेशित किया गया कि दिनांक 30.6.07 तक अनुमोदन प्राप्त कर यह कार्य दिनांक 01.07.07 तक प्रारम्भ कर दी जाय। विदित हो इसमें किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। उन्हें यह निदेश दिया जाता है कि कार्यों की एग्रीमेन्ट की एक-एक प्रति जिलाधिकारी को भेजें ताकि उसकी गुणवत्ता एवं समय-सीमा को ध्यान में रखते हुये कार्य को पूर्ण कराया जा सके। साथ ही कार्य-वार निम्नांकित प्रपत्र में कार्यक्रम भेजने हेतु निदेश दिया गया-

<u>प्राक्कलन</u>	कार्य प्रारम्भ होने	कबतक कार्य पूरा	प्रत्येक 15 दिन की प्रगति
	<u>की तिथि</u>	<u>किया गया</u>	<u>का प्रतिवेदन</u>

अगर इसमें राशि की उपलब्धता या प्रशासनिक कठिनाई हो तो जिलाधिकारी को सूचित करेंगे। जिला स्तर पर दो घंटे के अन्दर उस समस्या का समाधान किया जायेगा।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पाटलीपुत्रा प्रमंडल)

(ग) जबतक बृहत पैमाने पर परिसदन का कार्य प्रारम्भ नहीं होगा तबतक उन 09 अकार्यरत कमरों में टाईल्स लगाने एवं अन्य कार्यों में विलम्ब होगा। कार्यपालक अभियंता भवन, विद्युत प्रमंडल एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन विभाग को सामुहिक रूप से दिनांक 5.6.07 प्रथम एवं द्वितीय तल्लों के 09 कमरों को आवासन योग्य बनाकर अवधायक को उपलब्ध करा देना था परन्तु यह कार्य सम्पन्न न होना बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। निदेशित किया गया कि कार्यपालक अभियंता भवन, विद्युत प्रमंडल एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर इन कार्यों को दिनांक 7.7.07 तक सम्पन्न करा देंगे। दिनांक 8.7.07 को जिलाधिकारी द्वारा इसका निरीक्षण किया जायेगा।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता भवन, विद्युत प्रमंडल एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण)

(घ) परिसदन के परिसर में पथ का निर्माण, चाहरदिवारी निर्माण एवं गैरेज तोड़कर भण्डार कमरा का निर्माण कार्य का प्राक्कलन दिनांक 1.7.07 तक तैयार कर उसके आवंटन हेतु भवन निर्माण विभाग को भेजना कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग)

(ङ0) परिसदन में वर्षों से पड़े खराब एवं अकार्यरत कुर्सी, टेबुल, लकड़ी का पलंग, आलमीरा एवं अन्य उपस्करों की निलामी की आवश्यकता है। इसके निलामी हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण आवास विभाग, पाटलीपुत्रा प्रमंडल को निदेश दिया गया था परन्तु इनके द्वारा जिलाधिकारी को अपने स्तर पर निलामी हेतु लिखा गया है।

यह विदित हो कि सरकारी भवन का सभी उपरकर भवन निर्माण विभाग या जिला प्रशासन का होता है। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल मूल्यांकन कर P.W.D.Code के अनुसार नीलामी करें।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग एवं जिला नियंत्रण कक्ष)

(च) कार्यपालक अभियंता एवं नजारत उप समाहर्ता समन्वय स्थापित कर सभी कमरों में लगनेवाला पलंग, सोफा, ड्रेसिंग टेबुल, कुर्सी, मच्छडदानी, साईड टेबुल इत्यादि सामग्रियों का प्राक्कलन दिनांक 1.7.07 तक तैयार कर उपस्थापित करेंगे तथा सरकारी स्वीकृति प्राप्त करेंगे जिससे गोदरेज कम्पनी या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सामग्रियों का क्रय किया जा सके।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग एवं नजारत उप समाहर्ता)

(छ) इस परिसदन के भूतल के कमरों में पानी लगकर Damp के कारण दिवाल खराब होने एवं दीमक लगने से सामग्रियां खराब हो गयी है। इस कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, विशेषज्ञ से सम्पर्क स्थापित कर Ante Damp Treatment का प्राक्कलन तैयार कर दिनांक 01.07.07 तक सम्पन्न करा लिया जाय।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग)

(ज) 09 कमरों जिसका बाथरूम का दरवाजा खराब हो गया है, दरवाजा बदलकर एक ही रंग से रंगवाना कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग, पाटलीपुत्रा प्रमंडल सुनिश्चित करेंगे ताकि एकरूपता लगे।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग)

4. उद्यान

कार्यपालक अभियंता, उद्यान प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग श्री वरुण कुमार ने बताया कि इनके द्वारा पाँच हजार गमलों एवं परिसदन में विभिन्न उद्यान संबंधी कार्यों का प्राक्कलन बनाकर भवन निर्माण विभाग को प्रेषित किया गया है। सचिव भवन निर्माण विभाग से अनुरोध कर इसके संबंध में अग्रिम राशि उपलब्ध करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, उद्यान प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग)

5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन भी अपना कार्य प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करायेंगे। कार्य पूर्ण करने संबंधी प्रतिवेदन अगली बैठक के दो दिन पूर्व समर्पित करेंगे।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन)

6. विद्युत

कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल द्वारा अपने से संबंधित कार्यों का विस्तृत प्राक्कलन आयुक्त, उर्जा विभाग को भेज दिया गया है। पुनः इसके लिये उनसे अनुरोध किया जाय तथा दूरभाष पर भी सम्पर्क करना सुनिश्चित करें। फिलहाल 09 कमरों में बिजली का हल्का-फुलका कार्य कर बिजली ठीक कर उसे कार्यरत करना है।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल)

7. वाहनों की नीलामी

परिसदन के परिसर में जर्जर अवस्था में वर्षों से पड़े वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में है जिसमें आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना द्वारा पृच्छा की गयी है। नजारत उप समाहर्ता पृच्छा का जबाब भेजते हुये इस कार्य को दिनांक 26.6.07 तक सम्पन्न करायेंगे।

8. पुराने एवं व्यवहार में लाये जा रहे उपस्करों/सामग्रियों की सूची

परिसदन में जो भी पुराने एवं व्यवहार में लाये जा रहे उपस्करों/सामग्रियाँ हैं, की सूची चार प्रतियों में तैयार कर एक प्रति परिसदन में, एक प्रति गोपनीय शाखा में, एक प्रति नजारत शाखा में एवं एक अतिरिक्त प्रति सुरक्षित रखने का निदेश पूर्व में दिया गया था जिसका अनुपालन हेतु अवधायक, परिसदन को निदेशित किया गया है। साथ ही इसका कम्प्यूटरीकृत कराने का भी निदेश दिया गया। नजारत उप समाहर्ता इसका अनुश्रवण सुनिश्चित करायेंगे।

9. अन्यान्य :

उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि परिसदन में लगे सभी ताले पीतल के हैं जो गंदा हो गया है अतः उस ताले को परिसदन के अधीनस्थ चतुर्थ वर्गीय कमचारियों से ब्रासो से चमकवाना सुनिश्चित करायेंगे।

(अनुपालन-परिसदन अवधायक एवं नजारत उप समाहर्ता)
स-धन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

प्रतिलिपि-
प्रतिलिपि-

ज्ञापांक. XI-6/07-848 / नजा0, दिनांक 27-6-07
सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ० बी० राजेन्द्र)

जिलाधिकारी, पटना।

प्रतिलिपि-

ज्ञापांक. XI-6/07-848 / नजा0 दिनांक 27-6-07
सचिव, राजस्व पर्सद, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी, पटना।

27-6-07

प्रतिलिपि-

ज्ञापांक. XI-6/07-848 / नजा0 दिनांक 27-6-07
सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी, पटना।

27-6-07

प्रतिलिपि-

ज्ञापांक. XI-6/07-846 / नजा0 दिनांक 27-6-07
मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी, पटना।

27-6-07

जिलाधिकारी, पटना।

(११)

डा० बी० राजेन्द्र, जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक-20.05.07 को पटना परिसदन के विकास के लिए सम्पन्न बैठक की कार्यवाही:-

1. उपस्थिति:-

1. डा० बी० राजेन्द्र, भा० प्र० से० जिलाधिकारी, पटना ।
2. डा० महेन्द्र पाल, नज्दरत उप समाहर्ता, पटना ।
3. श्री दिनेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना पश्चिमी ।
4. श्री आर०एन० दुबे, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पाटलिपुत्र प्रमंडल, पटना ।
5. श्री नरेश कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पाटलिपुत्र प्रमंडल, पटना ।
6. श्री कामेश्वर सिंह, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, पटना ।
7. श्री ठाकुर रामजी प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना ।
8. श्री के०के० वर्मा, कनीय अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल, पटना ।
9. श्री शाहिद एकवाल, अवधायक, पटना परिसदन, पटना ।

2. भूमिका:-

पटना परिसदन बिहार राज्य का एक अति महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। इस परिसदन में अतिविशिष्ट महानुभाव एवं बिहार के बाहर के अतिथि का आवासन होता है, परन्तु परिसदन का समुचित रख-रखाव के अभाव में अतिथियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण राज्य की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः निर्णय लिया गया है कि परिसदन के आवास, विद्युत, पेयजल एवं अन्य व्यवस्था को उच्चस्तरीय बनाने हेतु प्रत्येक पन्द्रह दिनों में आयोजित होने वाली बैठक को जारी रखा जाय।

3. भवन:-

पटना परिसदन के उन्नयन के लिए भवन निर्माण विभाग को पूर्व में लिए गये निर्णय से अवगत कराते हुए निदेश दिया गया ।

- (क) कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि संवेदक कि हत्या के कारण बन्द पड़े, धौलपुर स्टोन लगाने का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिनांक-5.06.07 तक अचूक रूप से पुरा कर दी जायगी ।
- (ख) कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक-27.04.07 को अन्य निर्माण कार्य की निविदा किसी संवेदक द्वारा नहीं डाला गया । पुनः निविदा 05.06.07 तक आमंत्रित कर दिनांक-10.06.07 तक बैरेक, किचेन, स्टाफ क्वार्टर, गेट एवं वाउन्ड्रीवाल का कार्य प्रारम्भ कर दी जायगी ।
- (ग) परिसदन में टाइल्स लगाने का कार्य मार्गोनेट से लगाने का निदेश दिया गया ।
- अनुपालन:-** कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, पटना ।
- (घ) कार्यपालक अभियंता, भवन, विद्युत, एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने सामुहिक रूप से जानकारी दिया कि दिनांक-05.06.07 तक प्रथम एवं द्वितीय तल्लों के नौ कमरों को आवासन योग्य तैयार कर सुपूर्द कर दिया जायगा ।

अनुपालन:- कार्यपालक अभियंता, भवन, विद्युत, एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना ।

4. विद्युत:-

पटना परिसदन के उन्नयन से संबंधित विद्युत विभाग को पूर्व के बैठक में लिए गए निर्णय से अवगत कराते हुए निदेश दिया गया ।

- (क) परिसदन के प्रथम एवं द्वितीय तल्ले को आवासन योग्य बनाए जा रहे नौ कमरों में गीजर लगाने हेतु स्वीकृति प्राप्त करने अथवा वजट से या अलग से प्रावधान कर गीजर कय कर लगाने का निदेश दिया गया ।

अनुपालन:- कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग, पटना ।

5. दूरभाष:-

पटना परिसदन के उन्नयन से संबंधित पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुपालन एवं विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निदेश दिया गया ।

अनुपालन:- मंडल अभियंता, दूरभाष, पटना ।

6. उद्यान:-

- (क) परिसदन के कमरों के आगे एवं अन्य आवश्यक जगहों पर अच्छे किरम के फूलों का गमला रखने का निदेश दिया गया ।
- (ख) आवश्यक उद्यान व्यवस्था हेतु प्राक्कलन शीघ्र तैयार करने का निदेश दिया गया ।

अनुपालन:-कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना ।

7. अन्य व्यवस्था:-

1. अण्डर ग्राउण्ड वायरिंग से संबंधित 63,41,743.00 (तिरसठ लाख एकतालीस हजार सात सौ तेतालीस) रुपये मात्र का प्राक्कलन की स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि आयुक्त, उर्जा विभाग बिहार, पटना को अनुरोध पत्र देते हुए प्रतिलिपि आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना, विकास आयुक्त, बिहार, पटना एवं मुख्य सचिव, बिहार, पटना को समर्पित करते हुए व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी ।
2. परिसदन के भोजन व्यवस्था, आउट सोर्सिंग से कराने हेतु प्रक्रिया करने का निदेश दिया गया ।

Mazumdar
24.5.07
जिलाधिकारी,
पटना ।

ज्ञापांक... XI-6/07 - 712 / नजा0, पटना, दिनांक... 24.5.07

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

Mazumdar
24.5.07
जिलाधिकारी,
पटना ।

ज्ञापांक... XI-6/07 - 712 / नजा0, पटना, दिनांक... 24.5.07

प्रतिलिपि :- सचिव, राजस्व पर्यद, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

Mazumdar
24.5.07
जिलाधिकारी,
पटना ।

ज्ञापांक... XI-6/07 - 712 / नजा0, पटना, दिनांक... 24.5.07

प्रतिलिपि :- सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

Mazumdar
24.5.07
जिलाधिकारी,
पटना ।

ज्ञापांक... XI-6/07 - 712 / नजा0, पटना, दिनांक... 24.5.07

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

Mazumdar
24.5.07
जिलाधिकारी,
पटना ।

(61)

डॉ० बी० राजेन्दर जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक
14.4.07. को पटना परिसदन के विकास के लिए समपन्न बैठक
की कार्यवाही : -

उपस्थिति :-

1.

1. डॉ० बी० राजेन्दर , भा० प्र० से० जिलाधिकारी ,पटना।
2. श्री आर० के० सिन्हा, अपर जिला दण्डाधिकारी,नजारत,पटना।
3. श्री अरुण कुमार सिंह,नयाचार पदाधिकारी,पटना।
4. डॉ० महेन्द्र पाल, नजारत उपसमाहर्ता, पटना।
5. श्री दिनेश कुमार,कार्यपालक अभियंता,लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,पटना पश्चिमी।
6. श्री आर०एन० दुबे, कार्यापालक अभियंता , भ० नि० एवं आवास विभाग , पाटलिपुत्र प्रमंडल, पटना।
7. श्री नरेश गुप्ता , सहायक अभियंता , भ० नि० एवं आवास विभाग , पाटलिपुत्र प्रमंडल , पटना।
8. श्री कामेश्वर सिंह, कार्यापालक अभियंता , लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, पटना।
9. श्री ठाकुर रामजी प्रसाद सिंह,कार्यपालक अभियंता,विद्युत कार्यप्रमंडल,पटना।
10. श्री पवित्र पासवान , सहायक अभियंता विद्युत कार्य प्रमंडल , पटना।
11. श्री कै० के० वर्मा कनीय अभियंता पाटलीपुत्र भवन प्रमंडल पटना।
12. श्री शेखर कुमार यादव, कनीय अभियंता विद्युत कार्य प्रमंडल पटना।
13. श्री देवेन्द्र कुमार सिंह,जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी,पटना।
14. श्री लोकेश कुमार सिंह,विशेष कार्य पदाधिकारी,ग्रामीण कार्य विभाग,बिहार, पटना।
15. श्री शाहिद एकवाल , अवधायक , पटना परिसदन ,पटना।

2. भूमिका:-

पटना परिसदन विहार राज्य का एक अति महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। इस परिसदन में अतिविष्ट महानुभाव एवं बिहार के बाहर के अतिथि का आवासन होता है, परन्तु परिसदन का समुचित रख-रखाव के अभाव में अतिथियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण राज्य की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

राज्य अतिथियों को अन्य महँगे होटलों में आवासन करना पड़ता है, जिससे वित्तीय बोझ भी राज्य पर पड़ता है।

अतः निर्णय लिया गया है कि परिसदन के आवास, विद्युत, पेयजल एवं अन्य व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाने हेतु प्रत्येक पन्द्रह दिनों में आयोजित होने वाले बैठक को जारी रखा जाय।

3. भवन:-

पटना परिसदन के उन्नयन के लिए भवन निर्माण विभाग को पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय से अवगत कराते हुए निदेश दी गई:-

- (क) कार्यापालक अभियंता भवन निर्माण एवं आवास विभाग द्वारा बतलाया गया कि धौलपुर स्टोन लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है,जिसे 31.5.2007 तक पुरा कर दिया जायगा।

(ख) कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग ने बतलाया कि अन्य कार्यों का निविदा 27 अप्रैल 2007 को है, निविदा के उपरान्त पुलिस वैंक, किचन, स्टाफ व्वाटर, बहिया गेट एवं वाउन्ड्री याल का कार्य अचुक रूप से दिनांक- 01 मई 2007 से प्रारम्भ कर दी जायगी।

- (ग) भवन विद्युत एवं स्वास्थ्य अभियंत्रण को समन्वय कर शीघ्र कार्य पुरा करने का निदेश दिया गया।
- (घ) वैंक के बगल में स्टोर रूम बनाने का निदेश दिया गया।
- (ङ) ड्रैम्प लगाने वाले कमरों में एन्टी टाइमाइट लगाने का निदेश दिया गया।
- (च) परिसदन परिसर में ईटा सोलिंग करने का निदेश दिया गया।
- (छ) परिसदन में एक जेनरेटर रूम बनाने का निदेश दिया गया जहाँ से विद्युत व्यवस्था कन्ट्रोल किया जायेगा।
- (ज) परिसदन के पिछे गैरेज में रखे गए एवं अन्य पुराने उपकरणों की नीलामी हेतु तैयार सूची अवधायक पटना परिसदन से प्राप्त कर नीलामी की कार्रवाई शीघ्र करने का निदेश दिया गया।
- (झ) परिसदन के प्रथम तल्ला के कमरा संख्या 20, 21 एवं 22 का टाइल्स बैठाने का कार्य शीघ्र करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, पटना)

4. विद्युत:-

पटना परिसदन के उन्नयन से संबंधित विद्युत विभाग को पूर्व की बैठक में लिए निर्णय से अवगत कराया गया।

- (क) कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग ने जानकारी दिया कि 63,41,743.00 (तिरसठ लाख एकतालीस हजार सात सौ तैतालीस)रु० के प्राक्कलन की स्वीकृती प्राप्त नहीं हुई है, स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा।
- (ख) परिसदन हेतु ध्वनी रहित (साइलेन्ट) 100 के० भी० ए० जेनेरेटर कय करने हेतु आवश्यक कार्रवाई तैयार करने एवं कय करने का निदेश दिया गया।
- (घ) परिसदन में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु अतिरिक्त दो फिडर अतिशीघ्र बैठाने का निदेश दिया गया।
- (ङ.) परिसदन का एक मेन स्वीच बाहर लगाने का निदेश दिया गया जहाँ से पुरे परिसदन का विद्युत संचालित किया जा सके।
- (च) परिसदन के प्रत्येक कमरों में टी० भी० केबुल, गीजर, रूम हिटर आदि पोआइन्ट बनाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- कार्य० अभि० विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना)

5. दूरभाष:-

पटना परिसदन के उन्नयन से संबंधित पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुपालन एवं विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- मंडल अभियंता दूरभाष)

6. स्वच्छता अधिष्ठापन:-

- (क) परिसदन के प्रथम तल्ला एवं द्वितीय तल्ला का कार्य, भवन निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निदेश दिया गया
- (अनुपालन:- कार्यपालक अभियंता लोकस्वास्था प्रमंडल, पटना)

7. उद्यान:-

- (क) परिसदन के कमरों के सामने एवं अन्य आवश्यक जगहों पर अच्छे किरम के फूलों के साथ गमलों रखाने का निर्देश दिया गया ।
- (ख) आवश्यक उद्यान व्यवस्था हेतु प्रावकलन शीघ्र तैयार करने का निर्देश दिया गया ।

(अनुपालन-कार्यपालकपदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल, भ०नि०विभाग, पटना)

8. अन्य व्यवस्था:-

- (1) सफाई एवं भोजन व्यवस्था(out sourcing) बाहरी व्यवस्थासे कराने हेतु आवश्यक करवाई करने का निर्देश दिया गया ।
- (2) परिसदन के कर्मियों के लिए सफेद पोशाक देने का निर्णय लिया गया, जिस पर पटना परिसदन, पटना अंकित हो ।
- (3) परिसदन के कमरों में टी०भी० कय करने हेतु सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को पत्र लिखने का निर्देश दिया गया ।
- (4) बैरक में चौकी रखने हेतु आवंटन प्राप्ति के पश्चात कय करने का निर्देश दिया गया ।
- (5) अवधायक पटना परिसदन को 1000.00(एक हजार) रूपये मात्र अग्रिम देने का निर्देश दिया गया ।
- (6) परिसदन के आगे का सिमल वृक्ष को काटने हेतु वन विभाग को पत्र लिखने का निर्देश दिया गया ।
- (7) आवंटन प्राप्ति के पश्चात परिसदन हेतु सोफा कय करने का निर्देश दिया गया ।
- (8) स्थापना शाखा से सम्पर्क कर परिसदन में कार्य करने के इच्छुक कर्मियों में से दो कर्मियों को परिसदन में प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया गया ।

(अनुपालन-नजारत उप समाहर्ता, पटना)

- (9) परिसदन के उद्यान से केले का पेड़ कटाने का निर्देश दिया गया ।
- (10) परिसदन के प्रत्येक कमरों में एक सुझाव/परामर्श पुस्तिका रखने का निर्देश दिया गया ।

(अनुपालन -अवधायक, पटना परिसदन, पटना)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

17/4/07
नजारत उप समाहर्ता,
पटना

17.4.07
अपर जिला दंडाधिकारी,
नजारत, पटना

18.4.07
जिलाधिकारी
पटना

ज्ञापक सं० सं०-XI-6/07.....575...../नजा०, पटना, दिनांक 20/4/07
प्रतिलिपि:-सभी संबंधित पदाधिकारीयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
प्रतिलिपि:-आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

17/4/07
नजारत उप समाहर्ता,
पटना

17.4.07
अपर जिला दंडाधिकारी,
नजारत, पटना

18.4.07
जिलाधिकारी
पटना

ज्ञापक सं०सं०-XI-6/07.....575...../नजा०,पटना, दिनांक 20/4/07

प्रतिलिपि:-सचिव, राजस्व पंथद विहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

~~17/4/07~~
नजारत उप समीहता,
पटना
17/4/07

अपर जिला दंडाधिकारी,
नजारत,पटना

जिलाधिकारी
पटना

18/4/07

ज्ञापक सं०सं०-XI-6/07.....575...../नजा०,पटना, दिनांक 20/4/07

प्रतिलिपि:-सचिव ,उर्जा विभाग,बिहार,पटना/विकास आयुक्त, बिहार,पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित

~~17/4/07~~
नजारत उप समीहता,
पटना
17/4/07

अपर जिला दंडाधिकारी,
नजारत,पटना

जिलाधिकारी
पटना

18/4/07

ज्ञापक सं०सं०-XI-6/07.....575...../नजा०,पटना, दिनांक 20/4/07

प्रतिलिपि :-मुख्य सचिव ,बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

~~17/4/07~~
नजारत उप समीहता,
पटना
17/4/07

अपर जिला दंडाधिकारी,
नजारत,पटना

जिलाधिकारी
पटना

18/4/07

डॉ० बी० राजेन्दर जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता के दिनांक
8.03.07. को पटना परिसदन के विकास के लिए हुई बैठक की
कार्यवाही -

उपस्थिति-

1.

1. डॉ० बी० राजेन्दर, भा० प्र० से० जिलाधिकारी, पटना ।
2. श्री आर० के० सिन्हा, अपर जिला दण्डाधिकारी, नजारात, पटना ।
3. श्री अरुण कुमार सिंह, नयाचार पदाधिकारी, पटना ।
4. डॉ० महेन्द्र पाल, नजारात उपसमाहर्ता, पटना ।
5. श्री चन्द्रशेखर सिंह कार्यापालक पदाधिकारी, नुतन राजधानी, अंचल नगर निगम, पटना ।
6. श्री अखिलेश कुमार शर्मा, कार्यापालक अभियंता, भ० नि० एवं आवास विभाग, पाटलिपुत्रा प्रमंडल, पटना ।
7. श्री नरेश गुप्ता, सहायक अभियंता, भ० नि० एवं आवास विभाग, पाटलिपुत्रा, पटना ।
8. श्री कामेश्वर सिंह, कार्यापालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक प्रमंडल, पटना ।
9. श्री वरुण कुमार, कार्यापालक पदाधिकारी उद्यान प्रमंडल भ० नि० विभाग पटना ।
10. श्री दिनेश कुमार कार्यापालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल पटना पश्चिमी ।
11. श्री पवित्र पासवान, सहायक अभियंता विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना ।
12. श्री के० के० वर्मा कनीय अभियंता पाटलीपुत्र भवन प्रमंडल, पटना ।
13. मो० अभिरुद्दीन अंसारी, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पटना ।
14. श्री शेखर कुमार यादव, कनीय अभियंता विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना ।
15. श्री शाहिद एकवाल, अवधायक, पटना परिसदन, पटना ।

2. भूमिका-

पटना परिसदन विहार राज्य का एक अति महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। इस परिसदन में अतिविशिष्ट महानुभाव एवं विहार के बाहर के अतिथि का आवासन होता है, परन्तु परिसदन के समुचित रखा रखाव के अभाव में अतिथियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण राज्य की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राज्य अतिथियों को अन्य महँगे होटलों में आवासन करना पड़ता है। जिससे राज्य पर वित्तीय बोझ भी राज्य पर पड़ता है। अतएव निर्णय लिया गया है कि परिसदन के आवास, विद्युत, पेयजल एवं अन्य व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाने हेतु प्रत्येक माह आयोजित होने वाले बैठक को जारी रखा जाय ।

3. भवन-

पटना परिसदन के उन्नयन के लिए भवन निर्माण विभाग को पूर्व बैठक में लिए गए निर्णय से अलग करके हुए स्वीकृत प्राक्कलन के कार्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई ।

- (क) कार्यापालक अभियंता भवन निर्माण एवं आवास विभाग द्वारा पूर्व बैठक में दिए गए निदेश के बावजूद 23 फरवरी 07 से परिसदन के बाहरी दीवाल पर स्टोन लगाने का कार्य प्रारम्भ नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपसन्नता व्यक्त किया गया ।
- (ख) कार्यापालक अभियंता भवन निर्माण विभाग ने बतलाया कि 20 मार्च 07 से परिसदन की बाहरी दीवाल पर लगाये जाने वाले स्टोन कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ।
- (ग) परिसदन के उपरी तल्ले के 10 (दस) कमरों में मरम्मत का कार्य 9 मार्च 2007 से प्रारम्भ कर एक सप्ताह के अंदर पूरा करने का निर्णय लिया गया ।

- (घ) परिसदन के पुराने उपकरणों / सामग्रियों को पी० डब्लू० डी० कोड के अनुसार निलामी की प्रक्रिया अतिशीघ्र पूरा करने तथा नये उपकरणों एवं सामग्रियों हेतु प्राक्कलन तैयार कर उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया ।
- (ङ) परिसदन के द्वितीय मंजिल के आर० सी० सी० विभव जाली की मरम्मती का निर्देश दिया गया ।
- (च) परिसदन के कमरों में डैम्प लगाने से बचाने हेतु प्राक्कलन तैयार कर अतिशीघ्र उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया (अनुपालन - कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, पटना)

4. विद्युत-

- पटना परिसदन के उन्नयन से संबंधित विद्युत विभाग का पूर्व की बैठक में लिए निर्णय से अवगत कराया गया ।
- (क) कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग ने जानकारी दिया कि 63,41,743.00 (तिरसठ लाख एकतालीस हजार सात सौ तैतालीस) रु० के प्राक्कलन की स्वीकृति प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायगा ।
- (ख) परिसदन के चारों भेपर सोडियम बल्ब एक सप्ताह के भीतर बदलने का निर्देश दिया गया ।
- (ग) परिसदन हेतु ध्वनि रहित (साइलेन्ट) 100 के० भी० ए० जेनेरेटर हेतु प्राक्कलन तैयार करने एवं कय का निर्देश दिया गया ।
- (घ) परिसदन में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु अतिरिक्त दो फिडर अतिशीघ्र बैठाने का निर्देश दिया गया ।
- (ङ) परिसदन के प्रत्येक कमरों में टी० भी० केबुल, गीजर, रुम हीटर आदि का पोआइन्ट बनाने का निर्देश दिया गया ।
- (च) श्री शेखर कुमार यादव कनीय अभियंता विद्युत विभाग द्वारा परिसदन के कार्यों में अभिरुचि नहीं लेने पर अपसन्नता प्रकट की गई तथा एक सप्ताह की मोहलत दी गई, कि वे अपने कार्यों में वाछित सुधार कर, अन्यथा कारवाही की जायेगी ।
- (छ) विद्युत मिस्त्री द्वारा परिसदन में किए गए कार्यों की प्रविष्टि संधारित कर्म पुस्तिका में दर्ज करने का निर्देश दिया गया ।
- (ज) परिसदन के उपरी तल्ले के 10 कमरों का विद्युत मरम्मती कार्य 9 मार्च 2007 से प्रारम्भ कर भवन निर्माण विभाग से समन्वय कर एक सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया गया । (अनुपालन - कार्य० अभि० विद्युत कार्य० प्रमंडल पटना)

5. दूरभाष

पटना परिसदन के उन्नयन से संबंधित पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुपालन एवं विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया गया । (अनुपालन - मंडल अभियंता दूरभाष)

6. स्वच्छता अधिष्ठापन

- (क) परिसदन के तृतीय तल्ले स्थित सभी कमरों को आवासन योग्य बनाने हेतु 9 मार्च 07 से भवन निर्माण विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया गया ।
- (ख) कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, पटना को निर्देश दिया गया कि कार्य अच्छे ढंग से कराया जाय, ताकि आवासित अतिथियों को कठिनाई नहीं हो ।
- (ग) परिसदन में स्थापित टुटी हुई टंकी को बदलने एवं सफाई करने का निर्देश दिया गया ।
- (घ) प्रतिनियुक्त मिस्त्री द्वारा कमरा वार नल, फ्लश आदिको ठीक कर संधारित कर्म पुस्तिका में प्रविष्टि करने का निर्देश दिया गया ।
- (ङ) परिसदन के पूर्व बैठक में उद्यानों में पानी के नल संस्थापित करने के निर्देश को ससमय अनुपालन किये जाने हेतु कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पटना की सराहना की गयी । (अनुपालन कार्यपालक अभियंता लोकस्वास्था प्रमंडल पटना)

7. उद्यान

- (क) पटना परिसदन हेतु एक सप्ताह के अन्दर सुयोग्य एवं संवेदनशील माली की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया ।
- (ख) परिसदन के कमरों के सामने एवं अन्य आवश्यक जगहों पर अच्छे किसम के फूलों के साथ गमला रखाने का निर्देश दिया गया ।

(ग)

आवश्यक उद्यान व्यवस्था हेतु प्राक्कलन शीघ्र तैयार करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-कार्यपालक पदाधिकारी, उद्यान प्रमंडल, भ० वि० विभाग, पटना)

०. अन्य व्यवस्था

- (1) सभी पुराने एवं व्यवहार में लाये जा रहे उपस्करों / यामगियों की सूची चार पंजी में तैयार करने तथा एक-एक पति परिसदन, गोपनीय, नजारत एवं एक पति अतिरिक्त रखने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन -अवधायक, पटना परिसदन, पटना)
- (2) कर्मपुस्तका को संधारण करने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन -अवधायक, पटना परिसदन, पटना)
- (3) परिसदन में जर्जर पड़े गाड़ियों को तत्काल हटाने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन -नयाचार पदाधिकारी, पटना)
- (4) नजारत उप समाहर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुपालन प्रतिवेदन का अवलोकन करते हुए संतोष व्यक्त किया गया।
परिसदन के कमरों हेतु पीतल का चाभी रिंग बनाने का निदेश दिया गया जिस पर कमरा संख्या अंकित हो।
(अनुपालन-नजारत उप समाहर्ता, पटना)
- (5) उपरी तले के 10 (दस) कमरों हेतु पलंग एवं अन्य उपस्कर अतिशीघ्र कय करने का निदेश दिया।
(अनुपालन -नजारत उप समाहर्ता, पटना)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Majumdar
13.3.07
जिलाधिकारी
पटना।

ज्ञापक सं०सं०-XI-6/07.....377...../नजा०, पटना, दिनांक...14.3.07

निवेदि:-सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
निवेदि:-आयुक्त, पटना प्रमंडल पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Majumdar
13.3.07
जिलाधिकारी
पटना।

ज्ञापक सं०सं०-XI-6/07.....377...../नजा०, पटना, दिनांक...14.3.07

निवेदि:-सचिव, राजस्व पथद बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Majumdar
13.3.07
जिलाधिकारी
पटना।

ज्ञापक सं०सं०-XI-6/07.....377...../नजा०, पटना, दिनांक...14.3.07

निवेदि:-सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना / विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Majumdar
13.3.07
जिलाधिकारी
पटना।

ज्ञापक सं०सं०-XI-6/07.....377...../नजा०, पटना, दिनांक...14.3.07

निवेदि:-मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Majumdar
13.3.07
जिलाधिकारी
पटना।

(AF)

डॉ० बी० राजेन्दर, जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक
10.02.07 को पटना परिसदन के विकास के लिए हुई बैठक की
कार्यवाही :-

उपस्थिति:-

1. डॉ० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी, पटना।
2. श्री आर०के० सिन्हा, अपर जिला दंडाधिकारी, नजारत, पटना।
3. श्री अरुण कुमार सिंह, नयाचार पदाधिकारी, पटना।
4. डॉ० महेन्द्रपाल, नजारत उप समाहर्ता, पटना।
5. श्री चन्द्रशेखर सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी, नुतन राजधानी, अंचल नगर निगम, पटना।
6. श्री अखिलेश कुमार शर्मा, कार्यपालक अभियंता भ०नि० एवं आवास विभाग, पाटलीपुत्र प्रमंडल, पटना।
7. श्री नरेश कुमार गुप्ता, सहायक अभियंता भ०नि० एवं आवास विभाग पाटलीपुत्र प्रमंडल, पटना।
8. श्री कामेश्वर सिंह, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य आंतरिक प्रमंडल, पटना।
9. श्री ठाकुर रामजी प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना।
10. श्री शशि शेखर, सहायक वन संरक्षक, पटना वन प्रमंडल, पटना।
11. श्री दीपक कुमार, सहायक अभियंता, टेलीफोन, पटना पश्चिमी।
12. मो० मंजूर नसीर, सहायक अभियंता, सबडिवीजन सचिवालय।
13. श्री पवित्र पासवान, सहायक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना।
14. श्री शाहिद एकवाल, अवधायक, पटना परिसदन, पटना।

2. भूमिका

पटना परिसदन पूरे बिहार राज्य की राजधानी का एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। इस परिसदन में अतिविशिष्ट महानुभाव, बिहार के बाहर के अतिथि आवासन करते हैं, परन्तु इस परिसदन के समुचित रख-रखाव के अभाव के फलस्वरूप अतिथियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फलस्वरूप राज्य की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

राज्य के अतिथियों को अन्य मंहगे होटलों में आवासन करना पड़ता है, जिससे राज्य पर वित्तीय बोझ पड़ता है।

अतएव निर्णय लिया गया है कि परिसदन के आवास, विद्युत, पेयजल एवं अन्य व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाने के लिए प्रत्येक माह एक बैठक का आयोजन किया जाय।

3. भवन

पटना परिसदन के उन्नयन के लिए भवन निर्माण विभाग को पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय से अवगत कराते हुए भेजे गये प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई।

(क) कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि स्वीकृत प्राक्कलन के विरुद्ध 23 फरवरी से बाहरी दिवाल पर स्टोन लगाने का कार्य शुरू हो जायेगा।

(ख) तृतीय मंजिल स्थित सभी कमरों की मरम्मत, पेन्ट आदि कराने एवं किवाड़ों की मरम्मत हेतु निदेश दिया गया।

- (ग) द्वितीय मंजिल आर.सी.सी. विम्ब जाली की मरम्मत का निदेश दिया गया।
 (घ) परिसदन के कमरों में डैम्प लगाने से बचाने हेतु प्राक्कलन तैयार करने का निदेश दिया गया।
 (ङ) परिसदन के खाली पड़े कमरों के लिए पलंग, डायनिंग टेबुल, शोफा, ड्रेसिंग टेबुल आदि के लिए प्राक्कलन बनाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- कार्यपालक अभि०,म०नि०वि०)

विद्युत

4. पटना परिसदन उन्नयन से संबंधित विद्युत विभाग को पूर्व की बैठक में लिये गये निर्णय से अवगत कराया गया।

कार्यपालक अभियंता विद्युत ने जानकारी दिया कि विभाग को भेजे गये 63,41,743.00(तिरसठ लाख एकतालीस हजार सात सौ तेतालीस) रुपये मात्र का प्राक्कलन की मंत्रीमंडल से स्वीकृति के बाद कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।

- (क) परिसदन हेतु ध्वनि रहित (साईलेन्ट) 100KVA जेनरेटर हेतु प्राक्कलन बनाने एवं क्रय करने का निदेश दिया गया।
 (ख) विद्युत का अतिरिक्त दो फीडर अतिशीघ्र बैठाने का निदेश दिया गया, जिससे निर्वाध बिजली आपूर्ति हो सके।
 (ग) परिसदन के प्रत्येक कमरों में टी०भी० केबुल पोआइंट, गीजर, रूम हीटर पोआइंट आदि बनाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- कार्यपालक अभियंता विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना।)

दूरभाष

5. पटना परिसदन के अन्दर ग्राउण्ड वायरिंग के प्राक्कलन स्वीकृति के बाद विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर दूरभाष हेतु अंडरग्राउण्ड वायरिंग का कार्य करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- मंडल अभियंता, दूरभाष, पटना।)

स्वच्छता अधिष्ठापन

6. (क) परिसदन के तृतीय तल्ले स्थित सभी कमरों को आवासन योग्य बनाने हेतु शौचालय, स्नानागार एवं पानी संबंधी व्यवस्था को अतिशीघ्र मरम्मत का निदेश दिया गया।
 (ख) परिसदन के उद्यानों में तत्काल पानी का नल स्थापित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, पटना।)

वन

श्री शशि शेखर, ^{सहायक वन संरक्षक, पटना} वन प्रमंडल ^{पटना} द्वारा लगवाये गये 58(अनठावन) पौधों का कोई अनुश्रवण नहीं होने के कारण सभी पौधे नष्ट होने के कारण जिलाधिकारी महोदय द्वारा खेद व्यक्त करते हुए पुनः नये सिरे उद्यान में पौधा लगाकर प्रभावकारी अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

- (क) उद्यान से सिमल का पेड़ तत्काल हटवाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- प्रमंडलीय वन पदाधिकारी, पटना।)

अन्य व्यवस्था

8. (क) परिसदन के सेप्टी टैंक एवं नाली आदि की सफाई शीघ्र कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- कार्यपालक पदाधिकारी, नूतन राजधानी, अंचल नगर निगम, पटना।)

(ख) परिसदन के तृतीय तल्ले के 10 (दस) कमरों को आवासन योग्य करने हेतु डबल बेड पलंग-10(दस), मच्छरदानी डंडा सहित, गद्दा, चादर, पर्दा, मच्छरदानी, 20 कुर्सी, सेन्टर टेबुल, ड्रेसिंग टेबुल आदि स्थानीय बाजार से कोटेशन प्राप्त कर क्रय करने का निदेश दिया गया ।

(अनुपालन:- नजारत, उप समाहर्ता, पटना।)

(ग) 20 (बीस) गोदरेज ताला अतिशीघ्र खरीदकर आपूर्ति करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- नजारत, उप समाहर्ता, पटना।)

(घ) परिसदन के कार्यों में अभिरुचि करनेवाले नवनियुक्त चतुर्थवर्गीय/तृतीय वर्गीय दो-दो कर्मचारियों को परिसदन में पदस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- स्थापना, उप समाहर्ता, पटना।)

(ङ) परिसदन में पड़े गाड़ियों को तत्काल हटाने का निदेश गया।

(अनुपालन:- नयाचार पदाधिकारी, पटना।)

(च) एडम ऐजेन्सी द्वारा परिसदन परिसर के उद्यान में किये गये सौन्दर्योकरण कार्य पर संतोष व्यक्त किया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Muzen
14.2.2007

जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक-सं०सं०- XI-6/07-269...../नजा०, पटना दिनांक 15.2.07
प्रतिलिपि:- सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Muzen
14.2.2007

जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक-सं०सं०- XI-6/07-269...../नजा०, पटना दिनांक 15.2.07
प्रतिलिपि:- सचिव, राजस्व पर्सद, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Muzen
14.2.2007

जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक-सं०सं०- XI-6/07-269...../नजा०, पटना दिनांक 15.2.07
प्रतिलिपि:- सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Muzen
14.2.2007

जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक-सं०सं०- XI-6/07-269...../नजा०, पटना दिनांक 15.2.07
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Muzen
14.2.2007

जिलाधिकारी,
पटना।

डॉ० बी० राजेन्द्र, जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 06.01.07 को पटना परिसदन के विकास के लिए हुई बैठक की कार्यवाही:-

उपरिस्थिति:-

1. डॉ० बी० राजेन्द्र, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी, पटना।
2. श्री आर०के० सिन्हा, अपर जिला दंडाधिकारी, नजारात, पटना।
3. श्री दिनेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल पटना।
4. श्री ठाकुर रामजी प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, पटना।
5. श्री दीपक कुमार, मंडल अभियंता, दूरभाष, बी.एस.एन.एल., पटना।
6. श्री अजय कुमार, यादव, भा०प्र०से०, (परीक्ष्यमान)।
7. श्री कामेश्वर सिंह, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य आंतरिक प्रमंडल, पटना।
8. श्री नरेश कुमार, गुप्ता, सहायक अभियंता, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पाटलीपुत्र प्रमंडल, पटना।
9. श्री कौशल किशोर वर्मा, कनीय अभियंता, भवन निर्माण विभाग, पटना।
10. श्री अरूण कुमार सिंह, नयाचार पदाधिकारी, पटना।
11. डॉ० महेन्द्र पाल, नजारात उप समाहर्ता, पटना।
12. श्री शाहिद एकवाल, अवधायक, पटना परिसदन, पटना।

भूमिका:-

पटना परिसदन पूरे बिहार राज्य की राजधानी का एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है। इस परिसदन में अति विशिष्ट महानुभाव, बिहार के बाहर के अतिथि आवासन करते हैं। परन्तु इस परिसदन के समुचित रख-रखाव के अभाव के फलस्वरूप अतिथियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और राज्य की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राज्य के अतिथियों को अन्य मंहगें होटल में आवासन करना पड़ता है। जिससे राज्य पर वित्तीय बोझ पड़ता है।

अतएव निर्णय लिया गया कि परिसदन के आवास, विद्युत, पेयजल एवं अन्य व्यवस्था को उच्च स्तरीय बनाने के लिए प्रत्येक माह एक बैठक का आयोजन किया जाय। इस बैठक के सदस्य सचिव, नजारात उप समाहर्ता होंगे। जो समय-समय पर पटना परिसदन की समुचित व्यवस्था बनाये रखने हेतु बैठक बुलाया करेंगे।

भवन:-

(क) पटना परिसदन के उन्नयन के लिए भवन निर्माण विभाग को पूर्व की बैठक में लिये गये निर्णय से अवगत कराते हुए मरम्मत एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था के लिए प्राक्कलन बनाने का निदेश दिया गया था उनके द्वारा निम्नवत प्राक्कलन तैयार किये गये।

क्र०	संबंधि कार्य	प्राक्कलन की राशि
1.	एस/आर टू क्वाटर सरफेस (फिक्सींग) धौलपुर स्टोन के साथ	13,70,931.00
2.	मार्बल एण्ड ज्वाइंट फ्री टाइल्स फ्लूरिंग प्रथम एवं द्वितीय मंजिल	21,89,960.00
3.	क्वाटर एण्ड एडीशन बरामदा 4 सेट 3, 3 सेट 2, पियून क्वाटर 2 सेट 2, गैरेज और केयर टेकर रेसिडेन्स	7,07,500.00
4.	पी.सी.सी. बाथरूम, लैट्रीन सेप्टी टैंक, ड्रेन आदि	4,15,400.00
5.	बैरक (20 बिस्तर)	4,11,200.00
6.	पी.सी.सी.चिकेन मेरा, वाटर प्रुफ सिमेन्ट प्लास्टर, टारफेल्ड वर्क आदि	4,34,882.00
7.	किचेन हेतु	5,57,200.00
8.	5 (पाँच) अदद गैरेज हेतु	2,78,800.00
		63,65,873.00

श्री नरेश कुमार गुप्ता सहायक अभियंता, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, पाटलीपुत्र प्रमंडल, पटना ने जानकारी दी, विभाग को भेजे गये उपरोक्त 63,65,873.00 रुपये के प्राक्कलन में क्रमांक 1, एच.आर., क्वाटर सरफेस(फिक्सींग) धौलपुर रस्ते के साथ 13,70,931.00 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इसका टेण्डर कर फरवरी से कार्य प्रारंभ कर दी जायेगी तथा एक माह में पूरी कर ली जायेगी।

क्रमांक 2 से 8 तक 49, 94, 942.00 (उत्तरा लाख चौसठे हजार नौ सौ त्रयालीस) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी, पटना के तरफ से सचिव, भवन निर्माण विभाग को पत्र भेजने का निदेश दिया गया।

(ख) परिसदन के नीचे के कमरों में डैम्प लगता है, तत्संबंधी प्राक्कलन तैयार करेंगे।

(ग) परिसदन के अन्दर के रोड का कालीकरण हेतु प्राक्कलन तैयार करेंगे।

(घ) परिसदन के मेन गेट को आकर्षक एवं बाउन्ड्रीवाल से मिलता जुलता रंग का बनाने हेतु प्राक्कलन एक सप्ताह के अन्दर देंगे।

(ङ) परिसदन के कमरे के पलंग आदि फर्नीचर का प्राक्कलन तैयार करेंगे।

(च) पुराने फर्नीचर का आकलन कर पुराने फर्नीचर नीलाम करने का निदेश दिया गया।

(छ) स्नानागार एवं शौचालय में अच्छी किस्म के टाइल्स लगाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-कार्यपालक अभि० भवन निर्माण, विभाग)

विद्युत:-

4. विद्युत से संबंधित व्यवस्था के लिए बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार संबंधित विभाग के अभियंता द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जिसके अनुसार विद्युत के तार को अंडर ग्राउण्ड वायरिंग से संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता के द्वारा अपने विभाग को भेजे गये प्राक्कलन 63,41,743.00 (त्रिसठ लाख एकतालीस हजार सात सौ त्रयालीस) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु स्मार पत्र जिलाधिकारी, महोदय के माध्यम से लिखने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन- नजारत उप समाहर्ता, पटना।) ✓

5. दूरभाष:-

निम्नांकित निदेश दिया गया:-

(क) दूरभाष एवं विद्युत वायरिंग को साथ-साथ अंडर ग्राउण्ड करने हेतु निदेश दिया गया।

(ख) टेलीफोन एवं ब्राड बैंड का कनेक्शन परिसदन के हर कमरे में करने का निदेश दिया गया।

(ग) टी० भी० केवल के लिए डिश का तार को सभी कमरों में पोआइन्ट देने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन- कार्य० अभि०, भ० नि० वि० एवं मंडल अभि०, दूरभाष, पटना।)

6. स्वच्छता अधिष्ठापन:-

श्री शाहिद एकवाल, अवधयक, पटना परिसदन ने जानकारी दी, पानी की टंकी की सफाई नियमित ढंग से हो रही है।

(क) पानी की टंकी आदि सफाई के लिए दो कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति करने का निदेश दिया गया।

(ख) गार्डन में पानी की व्यवस्था करने तथा लौन के चारों ओर पानी के टेप आदि की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन- कार्य० अभि०, लोक स्वा०अभि०, पटना।)

7. उद्यान:-

एडम एजेन्सी को परिसदन के उद्यान का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण के लिए निदेश दिया गया तथा एक माह के अन्दर निदेशित कार्य को पूरा करने का आदेश भी दिया गया।

अन्य व्यवस्था:-

- (क) अवधायक, पटना परिषदन द्वारा दी गई अधियाचना की परिपूर्ति 24 घंटे के अन्दर किया जाय।
- (ख) 10 (दस) बजाज का रूम हिटर/ब्लोअर, 10(दस) रेगण्डरा का कम्बल जिसमें पटना परिषदन, पटना लिखा हो तथा 18 कमरों का तौलिया, चादर, तकिया खोल, बेड कवर, मच्छरदानी आदि की खरीदेगी कर आपूर्ति कराने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन- नजारत उप समाहर्ता, पटना।)
- (ग) पुरानी गाड़ियों की लौग बुक एवं हिस्ट्रीबुक नयाचार से प्राप्त कर निलामी की प्रक्रिया 15 दिनों के अन्दर पूरा करेंगे।
- (घ) परिषदन की व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने हेतु दो और अनुसेवी की प्रतिनियुक्ति हेतु स्थापना उप समाहर्ता से अनुरोध करने हेतु निदेश दिया गया।
(अनुपालन- नयाचार पदाधिकारी एवं नजारत उप समाहर्ता, पटना।)

सधन्यबाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Rajesh
8.1.2007

जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक-सं०सं०- 65 / नजा०, पटना दिनांक 9/1/07
प्रतिलिपि:- सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajesh
8.1.2007

जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक-सं०सं०- 65 / नजा०, पटना दिनांक 9/1/07
प्रतिलिपि:- सचिव, राजस्व पर्वद, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajesh
8.1.2007

जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक-सं०सं०- 65 / नजा०, पटना दिनांक 9/1/07
प्रतिलिपि:- सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajesh
8.1.2007

जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक-सं०सं०- 65 / नजा०, पटना दिनांक 9/1/07
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Rajesh
8.1.2007

जिलाधिकारी,
पटना।